सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



शान्ति धारीवाल
मंत्री, नगरीय विकास,
स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग

प्रशासन शहरों के संग अभियान
शहर 2021
सरकार का हाथ,
जनता के साथ
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

मार्ग-निर्देशिका-3

(16.12.21 तक के आदेश)

प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2021

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021

मार्ग–निर्देशिका–3

(16.12.21 तक के आदेश)

अभियान ई–मेल आईडी : psksabhiyan21@gmail.com
अभियान वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in
अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 1800-180-6127

अनुक्रमणिका

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के नगरीय निकायों से जुड़े कार्य (भूखण्ड/मकान के पट्टे, भवन निर्माण अनुज्ञा, नामान्तरण, भूखण्डों के उपविभाजन/पुनर्गठन आदि) एवं विविध समस्याओं के निस्तारण के लिए दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 संचालित है। उक्त अभियान के आयोजित शिविरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अभियान के जारी कुछ आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि रुपान्तरण, भवन निर्माण अनुज्ञा, भूउपयोग परिवर्तन, उपविभाजन/पुनर्गठन, नामान्तरण शुल्क में कमी करने के आदेश जारी किये गये है। धारा 69–ए के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले फ्री–होल्ड पट्टों के कार्य को सरल बनाने एवं पट्टा शुल्क में कमी करने के भी आदेश जनहित में जारी किये है।

उक्त जारी आदेशों/शुल्क में छूट देने के पीछे राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि शहरी क्षेत्र के निवासी/ जरूरतमंद व्यक्ति के निकाय से सम्बन्धित कार्य सरलता से एवं शीघ्र हो सके। इसके लिए उक्त आदेशों/परिपत्रों को पूर्व में अभियान की मार्गदर्शिकाओं के भाग–1 एवं 2 में जारी किया गया था। इसके पश्चात् जारी हुए परिपत्रों/आदेशों को इस भाग–3 में शामिल किया गया है ताकि सभी नगरीय निकाय व आमजन को सुविधापूर्वक इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। नगरीय निकाय के जन प्रतिनिधि/अधिकारीगण इसका लाभ प्राप्त कर जनता के अधिकतम कार्यों का निस्तारण अभियान में करके आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक सोच से कार्य करें।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :—प.3(50)नविवि/3/2012 **जयपुर, दिनांक :—29.10.2021**

<u>अधिसूचना</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104—ए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16(4) तथा नियम 9(1) एवं राज्य सरकार को सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न आदेश प्रसारित करती है:—

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16(4) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों में विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.07.2012 में निर्धारित की गई दरें देय हैं एवं दिनांक 17.06.1999 के पश्चात के प्रकरणों में नियम 9 (1) के अन्तर्गत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 में निर्धारित की गई दरें देय हैं। राजकीय भूमि के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 एवं टाउनशिप पॉलिसी—2010 में निर्धारित दरें देय हैं।

''प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021'' में उपरोक्त आदेश एवं अधिसूचना में उल्लेखित प्रीमियम दरों के स्थान पर निम्नानुसार प्रीमियम दरें अभियान अवधि हेतु निर्धारित की जाती हैं—

1. कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन हेतु प्रीमियम दरें—

रूपये प्रति वर्गमीटर में

क्र.स.	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर निगम हेतु (संबंधित प्राधिकरण/न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर परिषद हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में) भी	नगर पालिका हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मे भीं)
1.	आवासीय	300 व.मी. तक	100	75	50
		300 व.मी. से अधिक	200	150	100
2.	ग्रुप हाउसिंग	—	200	150	100
3.	औद्योगिक	सभी क्षेत्रफल के लिए	200	150	100
4.	धार्मिक व अलाभकारी चैरिटेबल संस्थान के अलावा	सभी क्षेत्रफल के लिए	100	75	50
5.	व्यवसायिक	300 व.मी. तक	200	100	75
		300 व.मी. से अधिक	400	300	200

स्पष्टीकरण :–

- उक्त प्रीमियम दरों के आधार पर ही सभी प्रकार के भूखण्डों पर एकमुश्त देय राशि की गणना आवासीय दर (प्रीमियम दर x 4) के आधार पर की जावेगी तथा यह राशि 10 वर्ष की एक मुश्त लीज लेकर फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जावेगा।
- न्यूनतम आवासीय दर का आशय उस क्षेत्र में 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्ड के लिए निर्धारित प्रीमियम दर से है।
- आवासीय व वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- उक्त वर्णित दरों के आधार पर वसूली योग्य कुल राशि में से पूर्व में आवेदन शुल्क के रूप में जमा करायी गई राशि समायोजित कर ली जावेगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टा विलेख या आवंटन पत्र जारी हो गया है अथवा मांग पत्र अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गयी है, ऐसे प्रकरणों को प्रीमियम दरों के लिये पुनः नही खोला जावेगा। लेकिन यदि राशि जमा नही की गई है तो मांग पत्र में संशोधन कर पुनः संशोधित मांग–पत्र जारी किया जावेगा।
- अभियान अवधि पश्चात् उक्त दरों की समीक्षा कर दरें पुनः निर्धारित की जावेंगी, किन्तु तीन श्रेणियों (नगर निगम/परिषद व पालिका हेतु)में ही रखते हुए अलग से दरें तय की जावेगी।

2. राजकीय भूमि की आवंटन की दरें–

स्थानीय निकाय/आवासन मण्डल की भूमि/अवाप्तशुदा भूमि/समर्पित की गई भूमियां/राजकीय भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियां व कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों के मध्य राजकीय भूमि सम्मिलित होने तथा योजना एवं भूखण्ड में स्वामित्व से अधिक भूमि के प्रकरणों में 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर अभियान अवधि में आवंटन हेतु देय दरें आरक्षित दर का 10 प्रतिशत अथवा डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, ली जावेगी।

उक्त दरें बिन्दु 1 व 2 वित्त विभाग की आईडी नं 252100395/29.10.2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. अभियान अवधि में कृषि भूमि की कॉलोनियों में निम्न दरें लेकर पट्टे जारी किये जाये।

A. दिनांक 31.03.2019 तक की अनुमोदित योजनाओं में 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्ड हेतु निम्न राशि देय होगी।

(i) प्रीमियम राशि :–

रूपये प्रति वर्गमीटर में

क्र.स	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर निगम हेतु (संबंधित प्राधिकरण/न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर परिषद हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर पालिका हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मे भीं)
1.	आवासीय	300 व. मी. तक	100	75	50

(i) उक्त प्रीमियम दर पर 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि (फ्री–होल्ड हेतु) देय होगी।
(ii) पट्टे के साथ निर्माण स्वीकृति (भूतल+प्रथम तल) की राशि – 500/– रूपये एक मुश्त।

नोट :– उपरोक्त मदों में देय राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि देय नहीं होगी।

A. दिनांक 31.03.2019 तक की अनुमोदित योजनाओं में 300 वर्गमीटर से बड़े आवासीय तथा अन्य सभी प्रयोजन के भूखण्डों हेतु निम्नानुसार राशि देय होगी।

(i) प्रीमियम राशि –

रूपये प्रति वर्गमीटर में

क्र.स	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर निगम हेतु (संबंधित प्राधिकरण/न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर परिषद हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर पालिका हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मे भीं)
1.	आवासीय, ग्रुप हाउसिंग	300 व.मी. से अधिक	200	150	100
2.	औद्योगिक	सभी क्षेत्रफल के लिए	200	150	100
3.	धार्मिक व अलाभकारी चैरिटेबल संस्थान के अलावा	सभी क्षेत्रफल के लिए	100	75	50
4.	व्यवसायिक	300 व.मी. तक	200	100	75
		300 व.मी. से अधिक	400	300	200
5.	फार्म हाउस	560 रूपये प्रति वगर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (गणना योग्य भू–आच्छादन क्षेत्र पर)			
6.	पर्यटन इकाई होटल/मोटल/रिसोर्ट / एम्यूजमेन्ट पार्क	प्रथम 20000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत			
7.	इन्फ्रास्ट्रचर, प्रोजेक्ट एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स–ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रान्सपोर्ट, कन्टेनर डिपो	प्रथम 20000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत			

(ii) उक्त प्रीमियम दर पर 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि (फ्री–होल्ड हेतु) देय होगी।

(iii) 300 व.मी. से अधिक 500 वर्गमीटर तक पट्टे के साथ निर्माण स्वीकृति (भूतल+प्रथम तल) तक की राशि – 1500/– रूपये एक मुश्त।

(iv) आंतरिक विकास शुल्क – निकाय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।

(v) बाह्य विकास शुल्क – टॉउनशिप पॉलिसी के अनुसार देय होगा।

(vi) सीवरेज चार्जेज – टॉउनशिप पॉलिसी/निर्धारित की गयी दर पर देय होगा।

(vii) सर्वे शुल्क – देय होगा।

(viii) साईट प्लॉन शुल्क – देय होगा।

नोट :– उपरोक्त मदों में देय राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि देय नहीं होगी।

C. **दिनांक 31.03.2019 के पश्चात स्वीकृत की गयी कॉलोनियॉ एंव अभियान अवधि में स्वीकृत होने वाली कॉलोनियों में निम्नानुसार राशि देय होगी।**

(i) प्रीमियम राशि :–

रूपये प्रति वर्गमीटर में

क्र.स	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर निगम हेतु (संबंधित प्राधिकरण/ न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर परिषद हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र में भी)	नगर पालिका हेतु (संबंधित न्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र मे भीं)
1.	आवासीय	300 व.मी. तक	100	75	50
2.	आवासीय व ग्रुप हाउसिंग	300 व.मी. से अधिक	200	150	100
3.	औद्योगिक	सभी क्षेत्रफल के लिए	200	150	100
4.	धार्मिक व अलाभकारी चैरिटेबल संस्थान के अलावा	सभी क्षेत्रफल के लिए	100	75	50
5.	व्यवसायिक	300 व.मी. तक	200	100	75
		300 व.मी. से अधिक	400	300	200

नोट :– यदि किसी प्राधिकरण क्षेत्र में नगरपालिका स्थित है तो उसकी सीमा में पालिका श्रेणी की दरें लागू होंगी।

(ii) उक्त प्रीमियम दर पर 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि (फ्री–होल्ड हेतु) देय होगी।

(iii) बाह्य विकास शुल्क– निम्न दरें टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अनुसार देय होंगी।

क्र.स.	नगरीय निकाय की श्रेणी	दर प्रति वर्गमीटर
1.	नगर निगम/प्राधिकरण क्षेत्र में	200/–
2.	नगर परिषद/न्यास के क्षेत्र मे	150/–
3.	नगर पालिका क्षेत्र में	100/–

नोट–(1) टाउनशिप पॉलिसी में बाह्य विकास शुल्क के प्रावधानानुसार व्यवसायिक में दुगूनी, ग्रुप–हाऊसिंग में डेढ गुणा आदि यथावत रहेगी।

(iv) आंतरिक विकास शुल्क – निकाय द्वारा निर्धारित के अनुसार देय होगा।

(v) सीवरेज चार्जेज – टॉउनशिप पॉलिसी/निर्धारित की गयी दर पर देय होगा।

(vi) स्वप्रेरणा से सर्वे कराकर स्वीकृत की गई योजनाओं में सर्वे शुल्क – देय होगा।

(vii) साईट प्लॉन शुल्क – देय होगा।

नोट :– (1) उपरोक्त मदों में देय राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि देय नहीं होगी।

(2) निजी विकासकर्ता की ग्रुप हाउसिंग एवं टाउनशिप योजनाओं में अभियान अवधि में उक्त प्रीमियम दरें लागू

होंगी लेकिन शेष दरें व वसूल योग्य राशि के प्रावधान यथावत रहेंगे। (उपरोक्त बिन्दु A, B व C में उल्लेखित प्रीमियम दरों के अतिरिक्त कोई छूट देय नही होगी।)

(3) ग्रुप हाउसिंग से तात्पर्य ऐसे एकल भूखण्ड से है जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक है तथा सम्पूर्ण भूमि का एकल पट्टा जारी किया जाना प्रस्तावित है।

4. भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क के संबंध में–

अभियान अवधि में आवासीय 300 वर्गमीटर से 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में (भूतल+प्रथम तल के लिए) प्रार्थना पत्र शुल्क, जांच शुल्क व अनुमोदन शुल्क को सम्मिलित करते हुये निम्न प्रकार भवन निर्माण अनुमोदन शुल्क लिया जावे –

क्र सं.	शुल्क का प्रकार	निर्माण का प्रयोजन	रूपये एक मुश्त
1.	अनुमोदन शुल्क	आवासीय प्रयोजन 300 व.मी. (भूतल+ प्रथम तल) तक	500/–
		300 व.मी. से अधिक 500 वर्गमीटर (भूतल+ प्रथम तल) तक	1500/–
2.	बी.एस.यू.पी. शुल्क	अभियान अवधि में देय नही होगी।	

नोट–

(i) यदि भूतल + प्रथम तल से अधिक मंजिलें निर्मित की जाती हैं, तो प्रचलित भवन विनियमों में अंकित सामान्य दरें ही लागू होंगी।

(ii) राजस्थान आवासन मण्डल के सभी प्रकार के भूखण्डों में सामान्य दरें लागू रहेगी।

5. भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में–

अभियान अवधि में स्थानीय निकाय की योजनाओं व अन्य सभी प्रकार के भूखण्डों में भू–उपयोग परिवर्तन की दरों की 50 प्रतिशत की छूट देय होगी। इस घटायी गई राशि लेकर भू–उपयोग परिवर्तन कर परिवर्तित उपयोग के अनुरूप ही फ्री–होल्ड का पट्टा दिया जावे, लेकिन यह छूट राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों में देय नहीं होगी।

6. उप–विभाजन/पुनर्गठन के संबंध में–

अभियान अवधि में आवासीय व औद्योगिक प्रयोजन हेतु पर्यटन ईकाई व संस्थागत प्रयोजन के समान ही उप–विभाजन/पुर्नगठन शुल्क 25/– रू प्रति वर्गमीटर (अधिकतम 15 लाख रूपये) लिया जाकर उप–विभाजन/पुर्नगठन कर उसी के अनुरूप फ्री–होल्ड के पट्टे दिये जावें।

नोट :– राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों में यह छूट देय नहीं होगी। आवासन मण्डल द्वारा कॉलोनियों का हस्तान्तरण निगम/परिषद/पालिका को कर दिया गया है तो भी यह छूट देय नहीं होगी।

7. नामान्तरण में लगने वाला शुल्कः–

अभियान अवधि में नामान्तरण हेतु पूर्व में लिये जा रहे प्रति वर्गमीटर की दर से देय राशि को समाप्त करते हुए एकमुश्त निम्न शुल्क लिया जाकर नाम परिवर्तन के अनुसार ही फ्री–होल्ड का पट्टा दिया जावें–

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	शुल्क (एकमुश्त)
1.	300 वर्ग मीटर तक	1000 रूपये
2.	300 वर्ग मीटर से अधिक	4000 रूपये

नोटः—

1. कोई अधिकारी/कर्मचारी नाम हस्तान्तरण के मामले में मौका निरीक्षण नहीं करेगा।
2. नाम हस्तान्तरण के मामले में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होने पर अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित नही करायी जायेगी।
3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी को नया पट्टा देने का विकल्प दिया जावेगा।
4. यदि किसी स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभियान अवधि में डिमाण्ड नोट में उक्त के अतिरिक्त कोई भी अन्य राशि जोड़ी जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. किसी भी नगर निकाय द्वारा नामान्तरण के प्रकरणों में उक्त राशि के अलावा अन्य कोई सेस/प्रमाण–पत्र शुल्क/अन्य किसी के भी नाम से शुल्क/प्रभार वसूल नहीं किया जायेगा। यदि किसी नगरीय निकायों के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभियान अवधि में डिमाण्ड नोट में उक्त मदों के अतिरिक्त कोई अन्य राशि जोड़ी जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि इस तरह का प्रस्ताव बोर्ड में लिया गया है तो संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा उसे राज्य सरकार को प्रेषित कर निरस्त करवाया जावेगा।

8. रहन रखे भूखण्डों के ब्याज के संबंध में—

निजी खातेदारी की योजनाओं में टाउनशिप पॉलिसी—2002 के तहत् आन्तरिक विकास हेतु 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखने का प्रावधान है। जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित आंतरिक विकास की राशि भूखण्ड़ के आवंटियों से लेकर उक्त भूखण्ड रहन मुक्त कर आंतरिक विकास स्वयं के स्तर पर कराया जाना है। भूखण्ड़धारियों द्वारा आंशिक या पूर्ण राशि निकाय में जमा करा दी है, किन्तु ब्याज के कारण अतिरिक्त भार काफी अधिक हो रहा है।

अतः वर्ष 2002 की टॉउनशिप पॉलिसी—2002 के तहत् निजी खातेदारी की कॉलोनियों में अभियान अवधि में भूखण्ड आवंटियों से विकास शुल्क के रूप में देय राशि पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावे।

नोट : जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लालकोटी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फीट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में उक्त बिन्दु सं. 1, 2, 3 व 8 लागू नहीं होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 10.12.2021

<u>अधिसूचना</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104—ए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16(4) तथा नियम 9(1) एवं राज्य सरकार को सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में राज्य सरकार प्रीमियम दरों में संशोधन निम्नानुसार करती है :—

"प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021" में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 1 के स्पष्टीकरण तथा बिन्दु संख्या 3 मे उल्लेखित आवासीय प्रविष्टि के सम्मुख अंकित 300 वर्गमीटर की प्रविष्टि को 500 वर्गमीटर से प्रतिस्थापित किया जाता है।"

उक्त छूट वित्त विभाग की आईडी सं. 1021105897 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(19)नविवि / नियम / 2019 जयपुर, दिनांकः 14.09.2021

आदेश

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और इसी अनुरूप स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में भू–रूपान्तरण या अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने के लिए निम्न आदेश प्रदान किए जाते हैं:–

1. शहरों में प्रभावी व ड्राफ्ट मास्टर प्लान में प्लांटेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व ईकोसेन्सेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) तथा उदयपुर मास्टर प्लान में दर्शाये गये जी–2 जोन को छोड़कर अन्य सभी भू–उपयोग में उपरोक्त वर्णित योजनाओं यथा कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय होंगे।
2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 के तहत छूट प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित उद्योगों हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के आवेदन के साथ भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90–ए का आदेश जारी किया जावे। भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले–आउट प्लान / साईट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे। अनुमोदन पश्चात उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुज्ञा / अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 के अंतर्गत राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित योजनाओं के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक ईकाईयों पर लीज रेंट आवासीय कीमत का 2.5 प्रतिशत निर्धारित किए जाने एवं कृषि जिन्सों हेतु बनाये जाने वाले वेयर हाउसिंग एवं गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज लीज रेंट में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
4. ऊपर वर्णित श्रेणी के ईकाईयों / उद्योगों हेतु एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 7.1 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(   )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/22969   दिनांकः 29.10.2021

<u>आदेश</u>

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 70110 दिनांक 29.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2008 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 50–बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 69–ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये दिनांक 31.12.2018 तक की सम्पत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड/शुल्क निर्धारित किये जाते हैः–

1. शहर की चार दीवारी, पुरानी आबादी, निजी अकृषि भूमि/आबादी भूमि, राजा– महाराजाओं/उनके परिवार/पूर्व जागीरदारों द्वारा विक्रय की गयी आबादी, ग्राम पंचायत, कस्टोडियन आदि के पट्टे व ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1971, 1981, 1992 एवं 2007 के अन्तर्गत जारी किये गये आवासीय पट्टे या संपरिवर्तन आदेश की सम्पत्तियां।

मौके पर उपलबध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेजों के आधार पर 501/– रूपये में पट्टा जारी किया जायेगा तथा प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेजों से आवेदित भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल अधिक होने पर राजकीय भूमि होने की स्थिति में आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर जो भी कम हो, राशि लेकर सम्पूर्ण भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा।

यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल/प्रतिबंधित भूमियां/सड़क/फुटपाथ का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जायेगा।

(i). वर्ष 01.01.1992 से पूर्व की सम्पत्तियों के दस्तावेज दिनांक 27.09.2021 के आदेश अनुसार लिये जायेगें। दिनांक 01.01.1992 के पश्चात् की सम्पत्तियों के स्वामित्व दस्तावेज के साथ बिजली, पानी के बिल आदि सपोर्टिंग दस्तावेज के रूप में लिये जायेगें।

(ii). यदि सम्पत्ति धारी द्वारा आवासीय से भिन्न उपयोग किया जा रहा है तो आवासीय पट्टा प्राप्त कर इसे नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करवाया जाकर फ्री–होल्ड पट्टा दिया जायेगा। लेकिन कोई भी सम्पत्ति का गैर आवासीय दस्तावेज है तो उसे मान्यता दी जाकर तद्नुसार नवीन पट्टा जारी किया जावेगा, उपरोक्त श्रेणियों के आवासीय/मिश्रित पट्टे जारी किये जावेगें।

(iii). बिन्दु संख्या 1 में जो सम्पत्तियां परम्परागत रूप से पूर्व में अस्तित्व में है। (जैसे ऊपर मकान–नीचे दुकान) वह आवासीय भू–उपयोग में अनुज्ञेय मानी जावेगी तथा उन पर पृथक से कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

(iv). मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकाने–ऊपर मकान।

(v). फ्री–होल्ड पट्टे पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। यदि 99 वर्षीय लीज डीड/पट्टा/रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर नया फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त किया जाता है तो बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि देय होगी। यदि पूर्व में एक मुश्त 8 गुणा राशि जमा है तो उसे समायोजित किया जायेगा।

(vi). राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(vii). नजूल सम्पत्तियों की दरें पृथक से तय की जावेगी।

नोट– पूर्व में निर्णित प्रकरणों को नहीं खोला जावेगा।

यह आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/73007 दिनांकः 12.11.2021

संशोधित परिपत्र

विभागीय परिपत्र प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/68191 दिनांक 27.09.2021 एवं राजस्थान नगर पालिका सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 50–बी एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम अधिनियम संख्या 18) की धारा 69–ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalites (Surrender f Non-Agricultural land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 27.09.2021 में दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की विद्यमान सम्पतियों के संबंध में निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति पर अधिकार/रहवास है, तो परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित मूल दस्तावेज नही होने पर रहवास का साक्ष्य उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 के (झ) में उल्लेखित (i) से (vii) में से कोई दो दस्तावेज देने पर फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जावें।

मौके पर पूर्व में यदि संपत्तिधारियों द्वारा आपसी सहमति से उपविभाजन कर रखा है तो उसे मान्यता प्रदान करते हुए मौके की स्थिति अनुसार पट्टा जारी किया जावें। उक्त प्रकार के प्रकरणों में उप–विभाजन/पुर्नगठन नियम व देय शुल्क लागू नही होगें।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत बनाये गये Rajasthan Municipalities (surrender of Non- Agricultural land and Grant of Freehold leses) rules, 2015 जिसे नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 04.10.21 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासो के लिए भी लागू किया गया है, के नियम–3 (vii) के अनुसार भूमि नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण/न्यास में निहित (vests) हो चुकी है, उसमें स्वामित्व के दस्तावेज होने पर पट्टा दिया जा सकता है।

साथ ही विभागीय परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के कतिपय बिन्दुओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है–

बिन्दु संख्या 2 के (च) –

(च) विद्यमान सम्पति जिसका निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति पर अधिकार/कब्जा है

बिन्दु संख्या 2 के (ज) –

(ज) नगर निकाय द्वारा पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकृतियां

बिन्दु संख्या 2 के (झ) –

(viii) दिनांक 01.01.1992 से 31.12.2018 तक की निर्मित सम्पतियों के संबंध में स्वामित्व का मूल दस्तावेज आवश्यक होगा।

बिन्दु संख्या 3 (क) (ii)

आम रास्ते/सुविधा क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण का पट्टा नही दिया जायेगा। स्वामित्व संबंधी कोई विवाद नही होने पर प्रत्येक प्रकरण में सिटी सर्वे रिकॉर्ड से रिपोर्ट की आवश्यकता नही होगी तथापि रास्ते अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का संशय अथवा आपत्ति प्राप्त होने पर सिटी सर्वे रिकॉर्ड संबंधित रिपोर्ट/दस्तावेज प्राप्त किये जावेगें।

बिन्दु संख्या 3 (क) (ix) नया बिन्दु जोड़ा गया

आवेदक के मूल दस्तावेजों में जो भू–उपयोग दर्ज है। उसी के अनुरूप पट्टा जारी किया जावेगा। यदि आवेदक द्वारा भिन्न उपयोग का पट्टा चाहा गया हो जो मास्टर/जोनल प्लान के अनुरूप है, तो उससे भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर मापदण्ड अनुसार नया फ्री–होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 3 (ग) (i) (चारदीवारी/परकोटा क्षेत्र के बाहर आबादी/अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के संबंध में) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

ऐसे क्षेत्र, जिनके यदि पूर्व में स्वीकृत ले–आउट प्लान उपलब्ध है, तो उसके आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। ले–आउट प्लान उपलब्ध नही होने पर विद्यमान मौके की स्थिति के अनुसार क्षेत्र/योजना का प्लॉट लेवल सर्वे कर प्लान तैयार किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा इसी प्लान के अनुरूप सड़कों एवं विद्यमान सुविधा क्षेत्र की भूमि को यथावत रखते हुये अन्य भूखण्डों के पट्टे दिये जायेगें।

नोट–यदि मूल दस्तावेजों की कड़ी में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है तो भी इस संबंध में शपथ पत्र लेकर पट्टा दिया जावेगा।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.09.2021 में जहां कही भी दिनांक 01.01.1992 का उल्लेख हुआ है, उसे दिनांक 31.12.2018 पढा जावें।

यह आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगा।

उपरोक्त संशोधन राज्य सरकार से अनुमोदित है।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुन्जी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–VIII जयपुर, दिनांक : 30.11.2021

आदेश

राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर तक की योजनाओं हेतु) के बिन्दु संख्या 4.02 (i) व (iii) के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–I दिनांक 16.05.2011 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु संख्या 4.02 के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्रफल तक की योजनाओं हेतु तकनीकी प्रावधान टॉउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर तक की योजनाओं हेतु) में अंकित प्रावधान के अनुरूप ही लागू होंगे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः 04.10.2021

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के प्रावधान जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, की धारा 54 ई, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50बी, नगर सुधार अधिनियम की धारा 60 (सी) अधिसूचना द्वारा दिनांक 23.09.2021 को जोड़े गए हैं।

राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एंव फ्री होल्ड पट्टा) नियम, 2015 (2021 से यथा संशोधित) दिनांक 20.09.2021 को अधिसूचित की गई है एवं अधिसूचना दिनांक 29.09.2021 द्वारा दरों का निर्धारण भी किया गया है।

प्राधिकरण व न्यास क्षेत्र में उक्त संबंध में नियम बनाये जाना प्रस्तावित है, तब तक राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम, 2015 निम्न संशोधन के साथ प्राधिकरण व न्यास क्षेत्र में लागू किये जाते है। (स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इन नियमों के अंतर्गत जारी की गई दरें व समस्त आदेश व परिपत्र लागू होंगे):–

(i) नियम, 2015 के नियम 2 (1)(क) :– "अधिनियम" से तात्पर्य जयपुर के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 एवं नगर विकास न्यासों के लिए नगर सुधार अधिनियम, 1959 अभिप्रेत है।

(ii) नियम, 2015 के नियम 2(1)(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" :– राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ही नियम, 2015 में प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(iii) नियम, 2015 के नियम 6(4) :– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण में आयुक्त व न्यास में सचिव (सचिव प्राधिकृत अधिकारी नहीं होने की स्थिति में) से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iv) नियम, 2015 के नियम 7,9 व 11 :– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पारित करने के पश्चात आगे फ्री होल्ड पट्टा देने की समस्त कार्यवाही कृषि भूमि के पट्टे देने के समान ही स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(   )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/73822   दिनांकः 06.12.2021

संशोधित परिपत्र

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50–बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत जारी विभागीय परिपत्र प.8(ग)(   )(PSKS) अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/68191 दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 (iii) में संशोधित करते हुए आदेश जारी किये जाते हैं कि दिनांक 31.12.18 तक की सम्पतियों के पूर्व में नगरीय निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्रान्ट के पट्टे/निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत द्वारा जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981,1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों द्वारा, अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री–होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नही की जावें तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित करायी जावे। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः— 21.10.2021

—:आदेश:—

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(7)वित्त/कर/2021—54 दिनांक 30.09.2021 में किए गए संशोधन अनुसार मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों के श्रेणी में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित/विक्रीत भूखण्डों के साथ—साथ स्वयं खातेदारों एवं उनके पश्चातवर्ती क्रेताओं द्वारा विक्रीत भूखण्डों के संबंध में प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 की अवधि में मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दर 10 से 40 प्रतिशत बाजार मूल्य के स्थान पर प्रत्येक मध्यवर्ती दस्तावेज पर केवल भूखण्ड के मूल्य के 20 प्रतिशत पर स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने तथा साथ ही भूखण्ड पर स्थित निर्माण के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देय होगी।
2. नगरीय निकायों द्वारा जारी भूखण्ड के पंजीकृत पट्टों को लीज होल्ड से फ्री—होल्ड करने के पश्चात जारी पट्टों पर 500/— रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. पंजीकृत विक्रय—पत्र के आधार पर पट्टे में नाम परिवर्तन कर क्रेता के नाम जारी नये पट्टे पर 500/— रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
4. एक पट्टाशुदा भूखण्ड के उप विभाजन पर जारी अलग—अलग पट्टों में एक सबसे बडे हिस्से को छोडकर (यदिं सभी हिस्से बराबर हों तो एक हिस्से को छोडकर) शेष हिस्सों के बाजार मूल्य पर कन्वेंस की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी जो समस्त हिस्सेदारों द्वारा आनुपातिक रूप से अदा की जायेगी। उप विभाजन की निम्नलिखित परिस्थितियों में कन्वेंस अंतर्वलित नहीं है, अतः इन परिस्थितियों में निष्पादित नये पट्टों पर 500/— रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी :—
   - (i) जहां उप विभाजन मूल पट्टाधारी के पक्ष में ही किया जा रहा है, वहां उप विभाजन के बाद जारी प्रत्येक नये पट्टे पर।
   - (ii) जहां मूल पट्टा एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में हो और पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उप विभाजन के बाद दोनों व्यक्तियों के पक्ष में अलग—अलग पट्टे जारी किये जा रहे हों, वहां प्रत्येक नये पट्टे पर।
   - (iii) जहां मूल पट्टेदार की मृत्यु के फलस्वरूप उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में उप विभाजन के पश्चात पट्टे जारी किए गए हों वहां प्रत्येक पट्टे पर।
5. एक से अधिक भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात जारी नये पट्टे के संबंध में निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्नानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी :—
   - (i) जहां एक ही स्वामित्व के एक से अधिक भूखण्डों का पुनर्गठन होता है तथा नया पट्टा मूल पट्टाधारी के नाम जारी होता है, वहां स्टाम्प ड्यूटी 500/— रूपये देय होगी।
   - (ii) जहां अलग—अलग स्वामित्व के भूखण्डों का पुनर्गठन होता है तथा नया पट्टा समस्त मूल स्वामियों के संयुक्त नाम से उसी अनुपात की हिस्सेदारी में जारी होता है, वहां स्टाम्प ड्यूटी 500/— रूपये देय होगी।
   - (iii) जहां अलग—अलग स्वामित्व के भूखण्डों का पुनर्गठन होता है तथा नया पट्टा उनमें से एक भूखण्डधारी के पक्ष में जारी होता है तोः—
     - (a) यदि पुनर्गठन के बाद पट्टा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है तो 500/— रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(b) यदि पुनर्गठन के बाद पट्टा खण्ड–ए में वर्णित से भिन्न आधार पर जारी किया गया है तो जिस भूखण्डधारी के नाम से नया पट्टा जारी होता है, उसके भूखण्ड को छोडकर शेष भूखण्डों पर कन्वेन्स की दर से स्टाम ड्यूटी देय होगी।

6. किसी भी प्रकरण में पूर्व में जारी किए गए पट्टे को समर्पित करने के संबंध में निष्पादित सरेंडर डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 100/– रूपये देय होगी।

7. भू–उपयोग परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित प्रयोजन के लिए जारी नये पट्टे पर निकाय में जमा कराई गई भू–उपयोग परिवर्तन राशि पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी सं. 102104353 दिनांक 13.09.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जाते हैं

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, Dated : 30.09.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that, not with standing anything contained in this department's number F.4(2) FD/Tax/2021-273 dated 24.02.2021, it is expedient in the public interest so to do, hereby order that during the period of the Prashasan Shahron ke Sang Abhiyan-2021 (from 02.10.2021 to 31.03.2022), the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2
Every intermediary unregistered and under stamped instrument executed in respect of land allotted or sold by housing cooperative societies or any other person, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.	On 20% of the market value of the land on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamp), as the case may be. Note: 1. While issuing lease deed, the Urban Local Body concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments; 2. The lease holder along with his lease deed shall submit such certificate and copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer, and 3. The Sub-Registrar shall not register such lease deed unless the certificate and the copies of the intermediary instruments specified in Note I have been presented before him and the stamp duty and surcharge payable on such intermediary instruments have been recovered.

[No.F.2(7)FD/Tax/2021-54]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 30.09.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

Table

S.No.	Description of Instrument	Stamp Duty
1.	**2**	**3**
1.	Lease deed issued by Urban Local Body on free hold basis after conversion of tenure from lease hold basis to free hold basis	Rupees five hundred.
2.	New lease deed (whether on free hold basis of lease hold basis) issued by Urban Local Body on transfer of the lease by way of sale, gift, will, succession, etc. where the stamp duty, if any, payable on the instrument of transfer has already been paid.	Rupees five hundred.
3.	New lease deed (whether on free hold basis or lease hold basis) issued by Urban Local Body after sub-division of land. (i) Where the land was held under a single lease and new lease deeds of sub-divided portions are issued in the name of original holder.	Rupees five hundred.
	(ii) where the land was held by two or more co-sharers under a single lease and new lease deeds of sub-divided portions are issued in the name of such co-sharers individually in proportion of their respective shares and	Rupees five hundred.
	(iii) where sub-division is occasioned due to succession and lease deed is issued in the name of succession and lease deed is issued in the name of successors individually in proportion of their respective shares.	Rupees five hundred.

4.	New lease deed (whether on free hold basis or lease hold basis) issued by Urban Local Body after reconstitution of two or more plots of land, (i) where the plots of land were held by single lessee under different leases and the new leases deed of reconstituted plot of land is issued in the name of original holder; and (ii) where the plots of land were held by different lessees and the new lease deed of reconstituted plots of land is issued in the name of original holders jointly, specifying in the deed their shares in proportion to the area of their original plots of land.	 Rupees five hundred. Rupees five hundred.
5.	New lease deed (whether on free hold basis or lease hold basis) issued by Urban Local Body after change or land use	At the rate of conveyance on the amount charged by Urban Local Body for the change of land use.

This notification shall be effective from 02.10.2021

[No.F.2(7)FD/Tax/2021-56]
By order of the Governor

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(313)नविवि/3/2011पार्ट जयपुर, दिनांक 22.10.2021

सचिव
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
जयपुर/जोधपुर/अजमेर

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल
राजस्थान, जयपुर।

सचिव
नगर विकास न्यास
समस्त....................................... ।

विषयः— **The Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012** के नियम 11(3) एवं 19(1) के तहत मूल खातेदार/ भू—स्वामी द्वारा **Transferee/Assignee** के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों यथा प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में।

संदर्भः— वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.2(7)FD/Tax/2021-55 दिनांक 30.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.2(7)FD/Tax/ 2021-55 दिनांक 30.09. 2021 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि The Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012 के नियम 11(3) एवं 19(1) के तहत मूल खातेदार/ भू—स्वामी द्वारा स्वयं पट्टा नहीं लेकर अपने Transferee/Assignee को पट्टा लेने हेतु अधिकृत करने के लिए निष्पादित दस्तावेज यथा—प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द के दस्तावेजों की निम्नानुसार दो श्रेणियां निर्धारित करते हुए स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई हैः—

(i)	जहां राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत स्वीकृत एक प्रोजेक्ट/परियोजना में एक विकासकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड को विकसित कर आगे एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में प्रोविजनल आवंटन पत्र या परिशिष्ट—द जारी करता है और ऐसे आवंटन पत्र या परिशिष्ट—द के आधार पर आवंटी द्वारा स्थानीय निकाय से पट्टा प्राप्त किया जाता है।	प्रत्येक प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द पर 500/— रू. स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
(ii)	जहॉं कोई प्रोजेक्ट या परियोजना राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के अधीन स्वीकृत/ अनुमोदित नहीं है उन मामलों में Transferee/Assignee के पक्ष में निष्पादित प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द पर	प्रत्येक प्रोविजनल आवंटन पत्र या नोमिनेशन पत्र या सहमति पत्र या परिशिष्ट—द पर पट्टे की प्रतिफल राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी लेकिन न्यूनतम स्टाम्प ड्यूटी 500/— रूपये होगी।

अतः उपरोक्तानुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, Dated : 30.09.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the assignment deed, by whatever name called, executed by the person who is eligible to get lease deed from local authority under sub-rule (3) of rule 11 or sub-rule 19 of the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture land for Non-Agriculture Purposes and Allotment) Rules, 2012, for the purpose of assignment or transferring his right in favour of another person to get the lease deed shall be reduced and charged as under:-

S.No.	**Description of Instrument**	**Stamp Duty**
1	2	3
1.	If such deed is executed by any person or the developer in respect of the project covered under Rajasthan Township Policy, 2010	Rupees five hundred on every such deed.
2	In any other case	Two percent of the amount which would be levied by the Urban Local Authority on the lease deed in respect of assignment deed is executed.

This notification shall be effective from 02.10.2021

[No.F.2(7)FD/Tax/2021-54]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकः प. 17 (1) निविवि/अभियान/2021 दिनांकः 02.11.21

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 20.9.21 के बिन्दु संख्या–5 व आदेश दिनांक 28.9.21 के बिन्दु संख्या 7 के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैंः–

(i). निकायों द्वारा नीलामी व निर्धारित दर से आवंटित किये गये भूखण्ड जिनमें पूर्ण रूप से मूल राशि निकाय में जमा हैं किन्तु मूल राशि पर विलम्ब के कारण लगाई गई ब्याज व पैनल्टी जमा नहीं हुई हैं या आंशिक जमा हुई हैं। उक्त राशि के जमा नही होने से निकाय द्वारा भूखण्ड का पट्टा/कब्जा नही दिया जा रहा हैं या आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया हैं। ऐसे भूखण्डों को बहाल करने की शक्तियॉ स्थानीय स्तर पर नहीं होने से अभियान के दौरान दिनांक 20.9.21 के आदेश के तहत समस्त ब्याज व पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई हैं एवं भूखण्ड बहाल करने की शक्तियां भी स्थानीय स्तर पर दी गई हैं।

(ii). समस्त निकायों व आवासन मण्डल द्वारा किसी भी माध्यम से आवंटित किये गये भूखण्ड, आवास, मकान, फ्लेट्स व अर्द्व निर्मित मकानों जिनमें आवंटन की मूल राशि पूर्ण रूप से जमा हो चुकी हैं उनमें ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान करते हुऐ राशि पूर्ण रूप से जमा हो चुकी हैं उनमें ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान करते हुऐ स्थानीय स्तर पर ही लीज–डीड/कब्जा–पत्र/आवंटन पत्र/पट्टा आदि जारी करने की कार्यवाही की जावे।

(iii). यदि इस प्रकार के प्रकरण किसी न्यायालय में इसी बिन्दु पर लम्बित हैं तो न्यायालय में सम्बन्धित निकाय/आवासन मण्डल द्वारा दरख्वावस्त लगाई जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया जाकर कार्यवाही करावें।

(iv). उपरोक्त रियायत सभी प्रकार के आवासीय, संस्थानिक, व्यवसायिक व अन्य उपयोग के आवंटित भूखण्डों बाबत भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14–ए व 17 के अन्तर्गत लागू होंगे।

उक्त आदेश अभियान अवधि में ही प्रभावी रहेगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः— पं.17(1) नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांकः 01.10.2021

संशोधित आदेश

नगरीय निकायो द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के अन्तर्गत जारी की गयी लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 90–बी व भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्डों में पट्टा/लीज डीड की दिनांक से 10 वर्ष में निमार्ण किया जाना आवश्यक है।

कोविड–19 के मध्यनजर आदेश दिनांक 12.05.2021 द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.12.2019 तक की जायेगी। उक्त राशि अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) तक जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

अधिसूचना दिनांक 12.05.2020 के अनुसार निर्माण अवधि विस्तार की दिनांक तक भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि स्वतः ही बढी हुयी मानी जायेगी।

लीज डीड/पट्टों में निर्धारित अवधि में निमार्ण नहीं करने पर देय बकाया पुनर्ग्रहण राशि में 60 प्रतिशत की छूट अभियान अवधि (दिनांक 31.03.2022) में प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2021 के अधिक्रमण में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(2)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांकः–02.11.2021

:–आदेशः–

पुनर्ग्रहण राशि के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेश/परिपत्र जारी किये जाते है। आमजन व निकाय अधिकारियों की सुविधा हेतु पूर्व में जारी किये गये आदेशों में वर्णित स्थिति को इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है तथा भ्रांति की स्थिति को भी स्पष्ट किया जा रहा है। विभागीय आदेश दिनांक 01.10.2021 के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन भुखण्ड़ों में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं किया गया है, उनके संबंध में पुनर्ग्रहण राशि की गणना 31.12.2019 तक कर बकाया राशि में 60 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये निर्माण अवधि विस्तार करने के आदेश दिये गये है।

भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14–ए व 17 दिनांक 23.03.1991, 18.11.1997, 15.01.2002, 20.08.2015, 16.09.2019, 04.01.2021 व 17.09.2021 में संशोधन किये गये है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 दिनांक 31.05.2012 को लागू किये गये जिनके नियम 26 में दिनांक 04.01.2021 व 17.09.2021 को संशोधन किया गया है।

उपरोक्त नियमों में किये गये संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगें, इसलिये दिनांक 23.03.1991, 18.11.1997, 15.01.2002, 20.08.2015, 16.09.2019, 04.01.2021 व 17.09.2021 को किये गये संशोधन, संशोधन की तिथि से लागू होते है। अतः दिनांक 16.09.2019, 04.01.2021 व 17.09.2021 को किये गये संशोधन के अन्तर्गत इस अवधि में किये गये आवंटन पुनर्ग्रहण शुल्क इन संशोधनों में निर्धारित अवधि के पश्चात् ही देय होगा। पूर्व में आदेशों/संशोधनों व आदेश दिनांक 01.10.2021 के अनुसार पुनर्ग्रहण शुल्क निम्न प्रकार देय हैः–

1. भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 17 (आवंटित भूखण्ड़ बाबत्) :–

(i) निकायों द्वारा वर्ष 1975 से 18.11.1997 तक निकायों द्वारा लॉटरी से रियायती दर पर आवंटित भूखण्ड़ों में आवंटन की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात् आवंटन के समय की आवंटन दर की 05%राशि वसूल करने का प्रावधान है। अतः ऐसे आवंटनों के संबंध में आवंटन तिथि से 03 वर्ष छोड़कर राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें।

(ii) निकायों द्वारा दिनांक 18.11.1997 के पश्चात् लॉटरी से रियायती दर पर आवंटन किये गये भूखण्ड़ों में आवंटन की दिनांक से 05 वर्ष पश्चात् आवंटन के समय की आवंटन दर की 05%राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 13.12.2019 तक गणना की जावें।

2. भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14–ए (नीलामी के भूखण्ड़ बाबत्) :–

(i) निकायों द्वारा दिनांक 15.01.2002 व इसके पश्चात् दिनांक 20.08.2015 से पूर्व नीलाम किये गये भूखण्ड़ों में कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात् वर्तमान आरक्षित दर की 2.5%राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 13.12.2019 तक गणना की जावें।

(ii) निकायों द्वारा दिनांक 20.08.2015 एवं इसके पश्चात् नीलामी से आवंटित किये गये 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड़ों में कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात् वर्तमान आरक्षित दर की 01%राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें। (1000 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड़ों पर पुनर्ग्रहण शुल्क निर्धारित अवधि के पश्चात् देय होगा)

3. कृषि भूमि से अकृषि भूमि के भूखण्ड़ (आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि):–

(i) विभिन्न नियमों (जैसे 1981 के नियम) के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टों में भी कृषि भूमि नियम 2012 के नियम 38 (2) के समान उक्त नियमों के नियम 26 के अनुसार पट्टे की तिथि से 07 वर्ष पश्चात् पट्टे जारी करने की दिनांक से आवासीय (Residential) मूल्य का 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें। (आवासीय मूल्य =पट्टे के समय रूपान्तरण शुल्क का चार गुणा)

(ii) भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टों में आदेश दिनांक 13.09.2011 के अनुसार पट्टा जारी करने की तिथि से 10 वर्ष पश्चात् पट्टे के समय के नियमन शुल्क की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानते हुये उसकी 05 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें।

(iii) राजस्थान शहरी नगरीय सीमा (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 26 :–

उक्त नियमों के अन्तर्गत पट्टे की तिथि से 07 वर्ष पश्चात् आवंटन के समय की आवासीय कीमत का 2.5%राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें।

(iv) भूमि अवाप्ति के बदले आवंटित भूखण्ड़ों में लीजडीड जारी होने के 10 वर्ष पश्चात् आदेश दिनांक 24.08.2016 के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की 01 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जावें।

दिनांक 31.12.2019 से 31.03.2022 तक पुनर्ग्रहण राशि लागू नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही यह शर्त जोड़ी गई है कि पुनर्ग्रहण के प्रकरणों में दिनांक 31.12.2019 तक गणना से जो राशि बनती है उसमें 60 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये शेष 40 प्रतिशत पुनर्ग्रहण राशि वसूल कर अभियान अवधि में दिनांक 31.03.2022 तक निर्माण अवधि विस्तार किया जावें।

नोटः–

1. भूखण्ड़ पर निर्माण से–स्वतंत्र भूखण्ड़ में एक ईकाई निर्माण (एक कमरा रसोई और लेट–बॉथ) तथा बड़े भूखण्ड़ जैसे व्यवसायिक कॉम्पलेक्श, मॉल, ग्रुप हाउसिंग, फ्लेट्स आदि में आच्छादित क्षेत्र में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल के 1/5 भाग पर निर्माण केवल भूतल पूर्ण होने से है। उक्तानुसार निर्माण होने के पश्चात् निर्माण अवधि विस्तार एवं पुनर्ग्रहण शुल्क अपेक्षित नहीं है।
2. जिन प्रकरणों में निर्माण अवधि दिनांक 31.11.2019 बाद समाप्त होती है उनसे अभियान अवधि दिनांक 31.03.2022 तक बिना शुल्क के निर्माण अवधि विस्तार की जावेगी।
3. अधिसूचना 12.05.2020 के अनुसार लीजडीड/पट्टे में निर्माण हेतु निर्धारित अवधि में पुनर्ग्रहण शुल्क देकर दिनांक 31.03.2022 तक वृद्धि करने पर भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र में निर्धारित अवधि स्वतः दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ी हुई मानी जावेगी।
4. भू–निस्तारण नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्माण अवधि की गणना भूखण्ड़ का कब्जा देना अथवा सुविधाऐं (सड़क, बिजली आदि) उस क्षेत्र/ब्लॉक/सेक्टर में उपलब्ध होने की दिनांक में से जो भी बाद में हो उस दिनांक से की जावेगी। (सुविधाऐं उपलब्ध होने अथवा नहीं होने का निर्धारण संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।)

5. दिनांक 16.09.2019, 04.01.2021 व 17.01.2021 को नियमों संशोधन किये गये प्रावधान उक्त दिनांकों के पश्चात् के प्रकरणों के लिये है तथा तद्नुसार पुनर्ग्रहण राशि देय होगी।
6. पुनर्ग्रहण राशि 40 प्रतिशत व लीज राशि 10 वर्ष/2 वर्ष की एकमुश्त जमा कराने पर फ्री–होल्ड का पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा।
7. भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निकाय द्वारा जारी होने पर 03 वर्ष की अवधि तक निर्माण करना आवश्यक होगा। यदि निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है तो पुनर्ग्रहरण राशि इन 03 वर्षो के लिए देय नहीं होगी।
8. दिनांक 31.03.2022 के पश्चात् पुनर्ग्रहण राशि में छूट देय नहीं होगी। साधारण पुनर्ग्रहण राशि देने पर निर्माण अवधि 03 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। पुनर्ग्रहण राशि नहीं देने पर तथा 03 वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर भूखण्ड़ का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 13.12.2021

<u>मार्गदर्शन</u>

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत् विभिन्न निकायों द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन के क्रम में विभिन्न प्रकरणों में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:–

(1) विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 02.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:

भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14 ए (नीलामी के भूखण्डों में पुर्नग्रहण राशि)

निकाय द्वारा दिनांक 15.01.2002 से दिनांक 20.08.2015 से पूर्व तक नीलाम किये गये भूखण्डों में पुर्नग्रहण राशि की गणना कब्जा देने की दिनांक से 03 वर्ष पश्चात से आरम्भ की जाकर, उक्त राशि की गणना दिनांक 20.08.2015 की आरक्षित दर की 2.5% राशि प्रतिवर्ष से दिनांक 31.12.2019 तक की जाकर राशि ली जावे।

(2) कृषि भूमि के एकल पट्टों/पट्टे में हिस्सेदारी के संबंध में :

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत पट्टे के आवेदन में एक से अधिक खातेदार होने एवं उनका हिस्सा/स्वामित्व समान नहीं होकर पृथक–पृथक होने पर संबंधित निकाय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सभी खातेदारों व उनके हिस्से की राजस्व रिकॉर्ड के अनुपात में ही हिस्सेदारी अंकित कर एकल पट्टा/पट्टा जारी किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(   )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/72517   दिनांकः 12.11.2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्य पीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13782/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) संख्या 15150/2021 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में निम्न तथ्य स्पष्ट किये जाते है :–

अ– दुर्गा विहार विकास समिति बनाम राज्य सरकार याचिका संख्या 1159/05 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्ती नियमन नीति, 2005 दिनांक 30.09.05 को जारी की, जिसके अनुसार कच्ची बस्ती के नियमन करने की अनुमति मा.उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.07.06 द्वारा प्रदान की।

ब– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेष अनुमति याचिका संख्या 16668/08 उनवान नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सोनी में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 में कच्ची बस्तियों के लिए एक नीति बनाकर नियमन करने का निर्णय करने की छूट प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में बनायी गई नीति अनुसार ही कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाकर पट्टे दिये जाने है।

स– मा. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन करना अनुमत किया गया है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सर्वेशुदा/चिन्हित कच्ची बस्तियों के कब्जेधारियों का नियमन किया जाकर अब तक लगभग 65000 परिवारों को पट्टे जारी किये गये हैं तथा अब शेष पट्टे देने हैं। नियमन हेतु कब्जे की कट ऑफ डेट दिनांक 15.08.09 हैं। उक्त नियमन से गरीब परिवारों को रहने का आसरा मिलता हैं जो एक जन कल्याणकारी कार्य हैं।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में नगरीय निकायों को निम्न मार्गदर्शन जारी किया जाता हैं–

01. ऐसी चिन्हित कच्ची बस्तियां जो कि सुविधा क्षेत्र (यथा पार्क, खेल मैदान, रास्ता, खाली भूमि, सार्वजनिक भूमि आदि) हेतु आरक्षित भूमि, वन भूमि, नदी,नाले, तालाब एवं अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्र स्थित है, में पट्टे नहीं दिये जावें।

02. अधिसूचित/सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में दिनांक 15.08.2009 तक निवास करने वाले परिवारों को पूर्व में पट्टे जारी किये गये है। वर्तमान अभियान में उक्त शेष कच्ची बस्तियों/शेष परिवारों को उपरोक्त कट ऑफ डेट दिनांक 15.08.2009 तक निवास करने वाले शेष परिवारों को ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावें।

03. कच्ची बस्ती नीति–2005 के मापदण्डों के अनुसार ही पट्टे जारी किये जावें।

04. कच्ची बस्ती में पट्टे जारी करने के लिये कब्जाधारियों के कब्जे की कट ऑफ डेट दिनांक 15.08.2009 निर्धारित है एवं न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 15 फीट है।

05. पट्टे दिये जाने हेतु निम्नांकित दरें प्रभावशील है:–

क्षेत्रफल (वर्गगज में) नियमन दरें (प्रतिवर्ग गज में)			
(प्रतिवर्ग गज में)	नगर निगम क्षेत्र	नगर परिषद क्षेत्र	नगरपालिका क्षेत्र
1 से 50	20 रू.	15 रू.	10 रू.
51 से 110	40 रू.	30 रू.	20 रू.

नोट–

- बी.पी.एल. के अतिरिक्त परिवार/व्यक्तियों के लिए यह दरें दुगुनी होगी।
- उक्त नियमन दर की राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी।
- कच्ची बस्ती में जारी किए जाने वाले पट्‌टे 99 वर्षीय लीज के आधार पर जारी किये जावेगें।
- इन पट्‌टों पर नियमन की राशि व 1 प्रतिशत लीज राशि एक मुश्त वसूल की जाकर पट्‌टे जारी किए जावेगें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकः– पं.17(1) नविवि/अभियान/2021/ दिनांकः 25.11.2021

आदेश

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 14 के सामान्य बिन्दु (ii) की अनुपालना में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है–

1.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।	सदस्य सचिव (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
4.	संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग	सदस्य सचिव (नविवि के प्रकरणों हेतु)
5.	वित्तिय सलाहाकार, स्वायत शासन विभाग।	सदस्य (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
6.	वित्तीय सलाहाकार, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य (नविवि के प्रकरणों हेतु)
7.	निदेशक विधि, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य (निदेशालय के प्रकरणों हेतु)
8.	उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग	सदस्य (नविवि के प्रकरणों हेतु)
9.	सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/नगर निगम/ परिषद/परिषद/पालिका का आयुक्त/ सचिव/ अधिशाषी अधिकारी	सदस्य (संबंधित प्रकरणों हेतु)

सम्बन्धित निकाय अपने क्षेत्राधिकार में लघु अवधि लीज/किराये पर दी गई सम्पतियों के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 14.1 व 14.2 के अनुसार 750 वर्ग मीटर तक एवं 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की सूचियां अलग–अलग तैयार की जावे। 750 वर्ग मीटर तक की सम्पतियों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा किया जायेगा। 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की सम्पति का परीक्षण स्थानीय एम्पार्वड समिति द्वारा किया जाकर प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों व निकाय के स्पष्ट अभिमत के साथ भिजवाएं जायेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अपनी अभिशंषा माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग को भेजी जावेगी। मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात अनुमति जारी की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकः– पं.8 (ग) नियम/डीएलबी/2021/डी– दिनांकः 24.11.2021

आदेश

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि प्राधिकरण/नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं में आवंटी की मूल पत्रावली अथवा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आवेदक द्वारा अभियान में अपने कार्य हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात संधारित मूल दस्तावेजों की पत्रावली गुम/कार्यालय में अप्राप्त होने के कारण संबंधित नगर निकायों द्वारा ऐसे आवेदकों के अभियान से संबंधित कार्य नहीं किये जा रहे है। आमजन को हो रही असुविधा के निराकरण हेतु इस संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. प्राधिकरण/नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पत्रावली गुम हो जाने पर प्रभारी अधिकरी एवं संबन्धित कार्मिक द्वारा पत्रावली के अन्तिम मूवमेंट के आधार पर पत्रावली की खोज की जाये।

2. शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यालय की शेष सभी शाखाओं को पत्रावली का क्रमांक एवं विषय आदि अंकित करते हुये खोज पत्र जारी कर प्रत्युतर प्राप्त किया जाये। प्राप्त प्रत्युतरों के आधार पर एवं पर्याप्त प्रयास के पश्चात भी यदि पत्रावली उपलब्ध नहीं होती है तो प्राधिकरण के प्रकरणों में सचिव नगर विकास न्यास के प्रकरणों में सचिव एवं नगर निगम/परिषद/पालिका के प्रकरणों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी से गुम पत्रावली का अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करने एवं दूसरी पत्रावली गठन करने की अनुमति शाखा प्रभारी द्वारा खोज पत्र/पत्रावली पर प्राप्त की जाये।

3. मूल पत्रावली खो जाने पर दूसरी पत्रावली का गठन निम्न प्रकार किया जायेः–

   3.1 रक्षित पत्रावली के आधार पर अतिरिक्त प्रतियों से पत्रावली का पुर्ननिर्माण किया जाये।

   3.2 यदि रक्षित पत्रावली पुराने अभिलेखों के संबन्ध में संधारित नहीं हो तो उस शाखा से जहां आदेशों की प्रतिया पृष्ठांकित की गई है, दूसरी पत्रावली पुनर्निर्माण हेतु परिवादी से मूल प्रतियां प्राप्त की जायें जिन्हें संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

   3.3 यदि क्रमांक 3.1 एवं 3.2 के अनुसार अभिलेख/पत्र व्यवहार उपलब्ध नहीं हो तो शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा संबन्धित परिवादी से दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर परिवादी के पास उपलब्ध मूल पत्रों से मिलान कर दस्तावेज सत्यापित करेंगे।

4. प्रार्थी से रू. 50 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्राप्त कर खोली जा रही नई पत्रावली में रखा जायेगा। प्रारूप परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

5. उपरोक्त प्रकार से आवेदन की दूसरी पत्रावली का गठन कर आवेदन के लम्बित आवेदन पत्र का निस्तारण किया जायेगा।

6. पत्रावली के पुनर्निर्माण पश्चात्, परिवादी के आवेदन का निस्तारण करते समय, विशेषकर जहां नगर निकाय का वित्तीय हित प्रभावित हो रहा हो, वहां पूर्ण सावधानी बरतते हुए समान मामलों में लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखकर ही कार्यवाही की जाये। जहां तक संभव हो प्रतिलिपियों की जांच स्थानीय निकाय की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध उपयुक्त रिकॉर्ड के आधार पर की जाये।

7. खोई हुई पत्रावली के प्रकरणों में संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा समानान्तर प्रारम्भिक जांच कर संबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर जांच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी यथा

प्राधिकरण के प्रकरणों में सचिव, नगर विकास न्यास के प्रकरणों में सचिव एवं नगर निगम/परिषद/पालिका के प्रकरणों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिनके द्वारा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8. खोई हुई पत्रावली के संबंध में की गयी प्राथमिक जांच के आधार पर शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्थानीय पुलिस थाने में पत्रावली गुम होने की प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी।
9. पत्रावली गुम होने की सूचना प्राप्त होते ही शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही अधिकतम 15 दिवस में पूर्ण की जायेगी।
10. भविष्य में सभी निकायों द्वारा सृद्ढ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अपनाकर पत्रावलियों का संधारण किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

<u>शपथ पत्र</u>

1. मैं/हम ....पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी ....तहसील .... जिला .... राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता/करते हूं/हैं कि भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... निकाय योजना/सहकारी समिति/निजी खातेदारी की योजना .... के संबंध में निकाय .... में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण मेरे/हमारे द्वारा संबन्धित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से जो दस्तावेज मेरे/हमारे .... पास उपलब्ध है इन दस्तावेजों के आधार पर डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर इस भूखण्ड से संबन्धित पट्टा/नाम हस्तान्तरण/एक मुश्त लीज/उपविभाजन/पुनर्गठन/फ्री–होल्ड पट्टा अथवा .... इत्यादि जारी करने बाबत् है।
2. मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं। भविष्य में कभी भी मेरे/हमारे दस्तावेज असत्य पाये जाने पर समस्त कार्यवाही के लिये मेरा/हमारा उत्तरदायित्व होगा। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज झूठे साबित होने पर दस्तावेजों के आधार पर की गयी समस्त कार्यवाही स्वतः ही निरस्त मानी जावे तथा नगर निकाय को मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

सत्यपानकर्ता

सत्यापन

मैं/हम शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त शपथ–पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कथन 1 से 2 मेरी/हमारी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है मैंने/हमने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद करे।

सत्यापनकर्ता

प्रमाणित नोटेरी पब्लिक

(रू 50/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(2)नविवि / नियम / 2021 जयपुर, दिनांकः—28.10.2021

:—आदेशः—

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमियों पर विकसित गैर कृषि प्रयोग किया जाकर सामान्य जाति या अन्य को भूमि का हस्तान्तरण किये जाने पर क्या कार्यवाही की जावें, उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:—

भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90—ए(8) के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि या उसके भाग पर खातेदार द्वारा भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर कब्जे से पृथक होने, एवं विक्रय, एग्रीमेंट से विक्रय, मुख्त्यारनामा, वसीयत या ग्रह निर्माण या सहकारी समिति का पट्‌टा या अन्य किसी भी प्रकार से मौके पर काबिज को पट्‌टा देने का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में 17.06.1999 से अकृषि उपयोग हो चुकी भूमियों हेतु 90—ए(8) के अनुसार इस अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी 90—ए की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही किया जाना प्रावधित है जिस कारण से काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान उक्त प्रकरणों में लागू नहीं होते है। अतः 17.06.1999 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमियों पर 90—ए प्रावधान एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा और आवंटन) नियम—2012 प्रावधान लागू होने से नियमानुसार नियमन किया जा सकता है।

इसी प्रकार यदि कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि पर गैर अकृषि उपयोग चाहे तो वह धारा—90ए उपधारा 1, 4, 6 एवं 7 के तहत् एवं राजस्थान शहरी नगरीय सीमा (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा और आवंटन) नियम—2012 आवेदन कर सकेगा एवं विहित प्रक्रिया अनुसार उससे प्रीमियम एवं अरबन असेसमेंट की राशि ली जाकर अनुज्ञा एवं आवंटन जारी किया जायेगा एवं 90—ए की प्रक्रिया पश्चात् काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होने से वो अपनी अकृषि भूमि को अन्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकेगा।

दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् कृषि उपयोग बिना स्वीकृति करने पर की जानी वाली के संबंध में पूर्व में दिनांक 29.12.2012, 23.07.2015, 02.05.2016, 18.07.2018 व 11.02.2020 को प्रसारित आदेश के तहत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

क्रमांकः प्रशास/नविवि/2021/ जयपुर, दिनांकः 21.10.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान – 2021 की सतत समीक्षा व पर्यवेक्षण आवश्यक है ताकि शासन के स्तर से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इस क्रम में निम्नांकित विभागीय अधिकारियों को संभागवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

क्रम	नाम अधिकारी	संभाग
1.	श्री कुंजी लाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अजमेर
2.	श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	जोधपुर
3.	श्री दीपक नन्दी, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	कोटा
4.	श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	उदयपुर
5.	श्री नवनीत कुमार, संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	बीकानेर
6.	श्री संजीव पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	भरतपुर
7.	श्री अवधेश सिंह, संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	जयपुर

प्रभारी अधिकारी संभाग का दौरा कर शिविरों का निरीक्षण करेंगे। भ्रमण रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित करेंगे। श्री संजीव पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग उक्त समस्त रिपोर्ट्स को संकलित कर माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

क्रमांकः भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/21/22394 जयपुर, दिनांकः 23.10.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान – 2021 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड) ( )डीएलबी/21/18679 दिनांक 20.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों का जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता हैः–

क्र.सं.	अधिकारी	आवंटित जिले	मोबाइल नं.
1.	निदेशक	जयपुर	9414186385
2.	अतिरिक्त निदेशक	भरतपुर	9314502994
3.	सहायक निदेशक (सर्तकता)	टोंक	9782221743
4.	सचिव, भर्ती आयोग	सीकर	9829376452
5.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	अजमेर	9828506399
6.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श	झुझुंनूं	9141719004
7.	परियोजना निदेशक	सिरोही	9414302563
8.	मुख्य अभियंता	कोटा, बूंदी	9414266266
9.	वित्तीय सलाहकार	हनुमानगढ़	7665986000
10.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर	भीलवाड़ा	9929079323
11.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर	9414523011
12.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर	9414102097
13.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर	जयपुर/दौसा	9414002097
14.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) कोटा	झालावाड़, बांरा	9414089039
15.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) उदयपुर	उदयपुर, प्रतापगढ़	9602723366
16.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) भरतपुर	करौली, सवाईमाधोपुर	9414297744
17.	मुख्य अभियंता (विद्युत)–सलाहकार	पाली, जालौर	9414076045
18.	श्री अरूण व्यास, मुख्य अभियंता, RUIDP	चित्तौड़गढ़	9414163401
19.	परियोजना निदेशक, हाउसिंग रूडसिको श्री गर्ग	बाड़मेर	9414257244
20.	श्री जसविंदर गोयल, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको	अलवर	9413387026
21.	श्री के.के नाटाणी, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको	राजसमंद	9829999998
22.	श्री जग्गनाथ बैरवा, अधीक्षण अभियंता, रूडसिको	धोलपुर	9929595014
23.	श्री मनीष अरोड़ा, अधीक्षण अभियंता, RUIDP	डूंगरपुर, बांसवाड़ा	8003377650
24.	श्री राकेश गर्ग, अधिशाषी अभियंता, रूडसिको	चूरू	9928447900
25.	श्री राकेश मुदगल, अधिक्षण अभियंता, RUIDP	नागौर	9414456296

उपरोक्त अधिकारीगण आवंटित जिलों की नगरीय निकायों से प्रभावी समन्वय रखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की प्रभावी मोनिटरिंग करेगें। इस हेतु शिविरों के आयोजन की पूर्व तैयारी की व्यवस्था करवायेगें। साथ ही प्रतिदिन शिविरों की कार्य की समीक्षा कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर मुख्यालय पर इस कार्य हेतु गठित प्रकोष्ठ में उपलब्ध करवायेगें एवं आवश्यकतानुसार शिविरों का निरीक्षण करने के लिए इन जिलो का भ्रमण भी करेगें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/22129–22341 दिनांक : 23.10.2021

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
राजस्थान।

विषय : "प्रशासन शहरो के संग अभियान – 2021" के अन्तर्गत अभियान अवधि में पट्टे वितरित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा संचालित "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं। आम जनता को अधिकाधिक राहत प्रदान करने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिकाधिक छूट प्रदान की गई है तथा सरकारी प्रकिया का भी सरलीकरण किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अभियान में 10 लाख पट्टे जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में वर्तमान सर्वे में आने वाले समस्त आवासों को भी पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जानी है। इसी क्रम में पट्टे वितरित किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय की श्रेणी अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

निकाय की श्रेणी	आवंटित लक्ष्य
नगर निगम (संख्या 10)	20,000
नगर परिषद् (संख्या 34)	10,000
नगर पालिका (संख्या 152)	3,000
नगर पालिका (नवगठित 17 नगरपालिका)	1,000

अतः प्रत्येक नगरीय निकाय में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी इस हेतु पूर्ण समर्पित होकर राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आम जनता को अधिक से अधिक लाभांवित कर उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/21578 दिनांक : 21.10.2021

आदेश

विषयः– "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के दौरान नगरीय निकायों में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु 'मार्गदर्शन समिति' का गठन किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" का मुख्य चरण दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2022 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं।

इस सम्बन्ध में पट्टा जारी किये जाने में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में निम्नांकित अधिकारियों की "मार्गदर्शन समिति" का गठन किया जाता है–

1. श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री संजय माथुर, वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री राजेश तुलारा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री सुभाष शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, मुख्य नगर नियोजन कार्यालय, राजस्थान।
6. श्री मदन कुमार शर्मा, सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री राजेन्द्र सिंहल, सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उपर्युक्त 'मार्गदर्शन समिति' प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन से प्राप्त एवं नगरीय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु नगरीय निकायों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। Master Plan एवं Zonal Plan से संबंधित समस्याओं के लिए निकाय द्वारा सीधे ही मुख्य नगर नियोजन कार्यालय से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता हैं।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23363 दिनांक :– 02.11.2021

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन विनियम 2020 के विनियम 16.1 के अनुसार बहु निवास ईकाई/फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग एवं 500 वर्ग मीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोग के भूखण्डों में भवन निर्माण पूरा होने पर निमार्णकर्ता को पूर्णता प्रमाण–पत्र व अधिवास प्रमाण –पत्र आवश्यक है।

विनियम 16.2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत वास्तुविद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

विनियम 16.4 में पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु निकाय स्तर पर एक समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो मौके पर निर्माण की जांच कर सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कई नगरीय निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में ना तो कोई समिति गठित की है और ना ही वहॉ पर पंजीकृत आर्किटेक्ट उपलब्ध है। अतः ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान के दौरान नगर निगम/परिषद/पालिका की एम्पार्वड समिति को ही पूर्णता व अधिवास प्रमाण–पत्र देने हेतु अधिकृत किया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन में पूर्णता व अधिवास प्रमाण–पत्र निर्धारित राशि लेकर जारी किया जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 अवधि के लिए ही प्रभावशील रहेगा।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 23346 दिनांक :– 02.11.2021

–: आदेश :–

राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर व माउण्ट आबू को विशिष्ट श्रेणी में इन शहरों को रखा गया है तथा इनके निकाय अधिकारियों को कुछ प्रावधानों के तहत प्रकरणों में सीमित अधिकार दिये गये है एवं राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को पट्टे जारी करना, कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करना आदि। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर किया जाता है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान ऐसे प्रकरणो को त्वरित गति से निस्तारण हेतु निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग में निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है :–

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः 11:00 बजे उपरोक्त निकायों के संबन्धित अधिकारी लम्बित प्रकरणों की पत्रावलियां संक्षिप्त नोट के साथ निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में नॉडल अधिकारी को सौपेगें व कोई जिम्मेदार / विज्ञ अधिकारी लेकर आवे तो शीघ्र निस्तारण में मदद मिलेगी।
2. नॉडल अधिकारी परीक्षण कर सक्षम स्तर से आगामी शुक्रवार तक अनुमति प्राप्त करेगा तथा संबन्धित निकाय के अधिकारी को आगामी शनिवार को पत्रावलीयां निर्णय के साथ लौटा देगा।
3. निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने अंकित निकायों के लिये नोडल अधिकारी तथा लिंक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	नॉडल अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.	लिंक अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.	निकाय का नाम
1	श्री राजेश तुलारा अति. मुख्य नगर नियोजक मो. 9289316619	श्री संजीव पाण्ड्ेय अति. निदेशक मो. 9314502994	नाथद्वारा
2	श्री संजीव पाण्ड्ेय अति. निदेशक मो. 9314502994	श्री राजेश तुलारा अति. मुख्य नगर नियोजक मो. 9289316619	पुष्कर
3	श्री एन.के. वर्मा उप निदेशक, प्रशासन मो. 9680697887	श्रीमती कविता चौधरी सचिव, चयन आयोग मो 9829376452	जैसलमेर
4	श्रीमती कविता चौधरी सचिव, चयन आयोग मो 9829376452	श्री एन.के. वर्मा उप निदेशक, प्रशासन मो. 9680697887	माउण्ट आबू

यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यह आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 अवधि के लिए ही प्रभावशील रहेगा।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)

टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 23384–603 दिनांक : 02.11.2021

उप निदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग
समस्त राजस्थान।
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद् / पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः–प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा एवं उच्च अधिकारियों के दौरे के समय निम्न बिन्दु सामने आये हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है :–

- समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि प्राप्त आवेदनों का कई जगह समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए जिन कॉलोनियों में ले–आउट प्लान पास हो चुका है और पट्टा लेना शेष है, उनकी सूची बनवाते हुए भूखण्डधारियों को प्रोत्साहित करके ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करें और उन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से कैम्प के दिन ही प्रकरण का निस्तारण किया जाकर पट्टा एवं कैम्प में की गई स्वीकृतियां जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।
- पट्टे के अलावा अन्य कार्य जैसे नाम हस्तान्तरण, खांचा भूमि आवंटन, कच्ची बस्ती के आवंटन, भू–खण्डों का विभाजन / पुनर्गठन, भवन निर्माण स्वीकृति, धारा 69–ए आदि कार्यों का भी निस्तारण भी कम हो रहा है। अतः आप स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर तुरन्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- वार्ड वाईज कैम्प कम से कम तीन दिवस के लिए लगाया जावे तथा निकाय में दैनिक रूप से प्राप्त आवेदनों एवं पूर्व में लम्बित प्रकरणों को संबंधित स्टाफ को एक साथ बिठाकर, चर्चा कर समीक्षा कर निस्तारण किया जावे ताकि जनता के अधिकाधिक कार्य किया जाना सुनिश्चित हो।
- शिविर कॉलोनीवार / वार्डवार मौके पर ही लगाए जावें, जिससे जनता के बीच मौहल्ला / कॉलोनी / वार्ड वासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आगामी शिविरों का कलेण्डर जारी कर निदेशालय को अवगत कराया जावे।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों से कार्मिकों को अनवरत रूप से प्रशिक्षित किया जावे। साथ ही विभागीय परिपत्रों आदि से भी अद्यतन किया जावे। संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक ऐसी नगर निकाय जहां कार्य बेहतर किया जा रहा है, वहां के स्टाफ एवं अधिकारियों से अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों / स्टाफ को जिलावार प्रशिक्षण दिया जावे।
- यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि / 3 / 2012 दिनांक 29.10.2021 द्वारा कृषि भूमि पर बसी वे कॉलोनियां जिनका ले–आउट प्लान दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अनुमोदित हो चुका है, के नियमन के संबंध में विशेष छूट दी गई। जिसके अनुसार 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डधारियों को पट्टों के

लिये नियमन राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इस छूट का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले एवं पात्र लोगों को पट्टे जारी किये जावे, यह अभियान में सुनिश्चित किया जाना है।

- हाल ही में नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के तहत आवासीय/मिश्रित पट्टों पर देय राशि में विभागीय आदेश क्रमांक 22969 दिनांक 29.10.2021 द्वारा कमी की गई है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया जावे। इसके लिए पट्टा दिये जाने के संबंध में वार्ड पार्षद, एनयूएलएम समूह, सफाई कार्मिक एवं लोगों का पूर्ण सहयोग लिया जावे तथा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया जावे। अतः आवेदन प्राप्त होते ही सात दिवस सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन कर पट्टे की कार्यवाही करें।

- नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों का निकाय स्तर पर सर्वे संभवतः करा लिया गया होगा। यदि सर्वे से लोग वंचित रह गये हैं तो वार्ड वाईज वोटर लिस्ट लेकर सर्वे किया जावे ताकि सर्वे का कार्य सही रूप से पूर्ण किया जावे। नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जावे कि इस धारा के तहत जारी पट्टों पर लोन भी मिलेगा एवं जमीन का विधिक दस्तावेज होगा।

- आपके निकाय में कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों हेतु हाल ही में पे–माईनस पेंशन पर कार्मिक नियुक्त किये जाने हेतु निदेशालय द्वारा आवश्यक स्वीकृति उपरान्त आदेश जारी किया गया है। अतः आवश्यकता अनुसार योग्य एवं अनुभवी कार्मिक जैसे कनिष्ठ अभियन्ता एवं कनिष्ठ लेखाकार का चयन जिले में स्थित नगरीय निकाय जो कि नोडल एजेन्सी है, के माध्यम से किया जावे। साथ ही पूर्व में चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा भी अन्य योग्य कार्मिक कैम्प अवधि में निर्धारित दर अनुसार ले सकते हैं। इस हेतु पूर्व में दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

- अभियान के अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजना, पालनहार योजना इत्यादि भी महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। अतः उक्त योजनाओं के विभागवार होर्डिंग्स/बैनर लगाये जावें एवं IEC गतिविधियां सम्पादित कराकर व्यापक जन प्रचार–प्रसार किया जायें, ताकि इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को मिल सके। कैम्प में ई–मित्र की भी सुविधा प्रदान की जावे ताकि आवेदक को शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके।

- अन्य विभागों के अधिकारियों को भी इस अभियान से जोडा जाने हेतु जिला कलक्टर को निवेदन किया जावे ताकि शिविर में पानी, बिजली, समाज कल्याण का समुचित प्रतिनिधित्व राज्य सरकार की मंशानुरूप कार्य किया जा सके।

- इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोगों को प्रोत्साहित कर ऑनलाईन आवेदन कराया जावे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, इस संबंध में आई.ई.सी. गतिविधियां एवं व्यापक जन प्रचार–प्रसार किया जावे।

- राज्य सरकार की मंशा अनुसार अभियान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता के साथ कार्य करना है, अगर अभियान के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उनके आवंटित कार्यों में लापरवाही बरती जाती है तो विभागीय अधिसूचना क्रमांक 71744 दिनांक 26.10.2021 के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा जो अधिकारी/कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जावे।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23653 दिनांक : 02.11.21

आदेश

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" का संचालन किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है। नगर परिषदों एवं नगर विकास न्यासों के लिए संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नगर पालिकाओं के लिए संबंधित उपखण्ड़ अधिकारी को अभियान प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त प्रभारी अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में किये जाने वाले कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु नियमित रूप से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिला कलक्टर अपने जिले की समस्त नगरीय निकायों के लिए समग्र प्रभारी अधिकारी भी होंगे।

शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/21850–22080 दिनांक : 22.10.2021

1. आयुक्त,
विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

2. सचिव,
समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।

3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ''प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021'' के अन्तर्गत शिविर आयोजित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्‌देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में संचालित "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" की माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय के द्वारा समीक्षा की गयी है जिसके तहत नगरीय क्षेत्रों का कार्य असंतोषप्रद पाया गया है।

अतः नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित कर उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किये जाने की दृष्टि से निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है –

1. यह देखने में आया है कि प्राप्त आवेदनों की तुलना में प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया हैं। अतः प्राप्त आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण किया जावे। साथ ही प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण स्पष्ट कर विभाग को अवगत कराया जावे।

2. नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड/कॉलोनियों का Zonal Plan बन गया है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर शिविर आयोजित किए जावे तथा प्रत्येक शिविर की अवधि कम से कम तीन दिवस रखी जावे।

3. जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है वहाँ आपस में समन्वय स्थापित कर निकट ही शिविर का आयोजन किया जावे, जिससे आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।

4. जिन नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकाय विद्यमान है वहाँ यह देखने में आया है कि आम जनता को अपने आवास/कॉलोनी/क्षेत्र को लेकर यह असमंजस रहता है कि यह क्षेत्र किसके क्षेत्राधिकार में है।

अतः ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में शिविर आयोजित करते समय नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण/न्यास अपने अपने क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर आम जनता की सुविधा हेतु क्षेत्राधिकार की सूचना Display करे।

5. संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शिविर में उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(   )(PSKS)/डीएलबी/21/693   दिनांकः 7.12.2021

<u>आदेश</u>

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की समीक्षा के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियान में पट्टे जारी करने के लिए अभी तक नगरीय निकायों में कुल लगभग 1,25,000 आवेदन पत्र ही आम जनता के प्राप्त हुये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियान में विभिन्न प्रकार के पट्टे लोगों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों एवं सरकार द्वारा दी गई रियायतों की जानकारी आम जनता को पूर्ण रूप से नही मिल पायी है। अभियान अवधि के लिए राज्य सरकार ने पट्टे हेतु जमा की जाने वाली राशि में भी भारी छूट दी है। इन सब तथ्यों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर अपने मकान के पट्टे के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकें। इस कार्य को करने के लिए नगरीय निकायों द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जावेः–

1. अभियान में दी गई शिथिलतायें एवं शुल्क में दी गई छूट तथा अन्य संबंधित तथ्यों का शहर में जरिये पम्पलेट, हुपर आदि द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये जावें। समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाकर आम शहरी नागरिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर मित्रों को निर्देशित किया जावे कि वह फील्ड में जाकर शहरी आम नागरिकों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें।
3. नगर पालिका कार्मिकों को क्षेत्रवार/वार्डवार प्रभारी नियुक्त करते हुए उन्हें लक्ष्य दिये जाकर संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत करावें।
4. प्रत्येक नगरीय निकाय अपने निकाय क्षेत्र में मिनी कैम्प लगावें एवं निकाय के कार्मिकों को पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी दें।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण अपने–अपने निकाय के सभी पार्षदगणों का सहयोग लेकर पट्टे हेतु आवेदन की संख्या बढाने के प्रयास करें।
6. सभी उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग संभाग वाईज अपनी–अपनी नगरीय निकाय की मिटिंग लेकर प्रगति हेतु कार्य योजना तैयार करें।
7. नगरीय निकाय के भूमि अनुभाग में पूर्व से पट्टे हेतु लम्बित/विचाराधीन ऐसी सभी पत्रावलियों की सूची तैयार करवावें एवं उक्त सभी पत्रावलियों को नियत पोर्टल/गूगलशीट पर अपलोड कराकर इन्हें इस अभियान के दौरान नियमानुसार निस्तारित कराने की कार्यवाही करावें।
8. सभी नगरीय निकाय विभिन्न प्रकार के पट्टो यथा 90–ए, 69–ए, स्टेट ग्रांट एक्ट/खांचा भूमि आदि के लिए प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट तैयार की जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवेदकों को उपलब्ध कराई जावे ताकि आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत करते समय वांछनीय सभी दस्तावेजों के साथ सही प्रकार से आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
9. निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में जिन योजनाओं के प्लान अनुमोदित हो चुके है एवं भूखण्डधारियों द्वारा अभी तक पट्टा लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया है, ऐसे सभी भूखण्डधारियों को नोटिस जारी किये जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें।
10. अनुमोदन से शेष प्लान को सभी निकाय शीघ्र अनुमोदित कर नियमानुसार उनमें भी पट्टा आवंटन की कार्यवाही करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2021 / 419–634 दिनांकः–26.11.2021

समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,

नगर निगम / परिषद / पालिकायें,

राजस्थान।

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान निकायों में विभिन्न कार्य हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 दौरान आयोजित शिविरों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ताओं द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि नगरीय निकाय में विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में निरस्त किये जा रहे है आवेदनों में दो कारण यह भी है कि 1. दस्तावेजों के अभाव 2. गलत श्रेणी में आवेदन ।

उपरोक्त दोनों कारणों के विषय में निम्न प्रकार से व्यवस्था लागू की जा रही हैः–

1. शहरी आमजन द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को किसी भी दस्तावेजों के अभाव में निरस्त नही किया जावे। यदि आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के दस्तावेजों की कमी है, तो संबंधित आवेदक से उक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
2. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत श्रेणी में आवेदन किया जाना पाया जाता है, तो उक्त आवेदन पत्र की श्रेणी सही कराई जाकर उक्त आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि / नियम / 2021 जयपुर, दिनांकः– 16.12.2021

–ःअधिसूचनाः–

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 31 राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 हेतु जनहित में निम्न छूट प्रदान करती है :–

1. लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड के संबंध में :– उक्त नियम, 1974 के नियम 14 व 17 तथा नियम, 2012 के नियम 20 (I) के परन्तुक एवं नियम 23–A के अंतर्गत भूखण्डधारी द्वारा निकाय से फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने पर पूर्व की बकाया पुनर्ग्रहण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है एवं फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 03 वर्ष तक पुनर्ग्रहण शुल्क देय नही होगा। तीन वर्ष पश्चात पुनर्ग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015 जयपुर, दिनांकः 04.10.2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों के दिन–प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण के दिशा में निरन्तर किये जा रहे प्रयासों में नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर त्वरित समाधान हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य के प्रथम श्रेणी शहरों के अधिकांश जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रारूप तैयार कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा चुका है अथवा शीघ्र ही प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम श्रेणी के शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप देने में समय लगने की संभावना एवं प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दृष्टिगत जिन शहरों के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो चुके है एवं आपत्ति /सुझावों के आधार पर जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में नगर नियोजन संबंधी प्रकरणों का निष्पादन आदि कार्य निम्नानुसाार किया जावेः–

1. प्रकरण से संबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हो एवं किसी क्षेत्र विशेष में मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग में संशोधन अपेक्षित नहीं हो, तो प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. यदि किसी प्रकरण विशेष में प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान में आपत्ति प्राप्त होने तथा मास्टर प्लान में किसी प्रकार के संशोधन की कार्यवाही अपेक्षित होने पर प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुमोदन होने के पश्चात् ही मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकः– पं.17(1) नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांकः 22.11.2021

–:स्पष्टीकरण परिपत्रः–

ई.डब्ल्यू एस/एल.आई.जी./एम.आई.जी–ए/एम.आई.जी.–बी/एच.आई.जी के आवासों के संबंध में :–

विभागीय आदेश दिनांक 01.09.2021, 20.09.2021 व 28.09.2021 द्वारा ई.डब्ल्यू एस/एल.आई.जी./एम.आई.जी–ए/एम.आई.जी.–बी/एच.आई.जी के आवासों के बकाया ब्याज राशि जमा कराने की छूट प्रदान की गई है। निकायों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना, बीएलयूपी योजना आदि के अन्तर्गत बनाये गये ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी./एम.आई.जी–ए श्रेणी के आय वर्ग के लिये आवास निर्मित किये गये है। राजस्थान आवसन मण्डल द्वारा भी उक्त आय वर्ग के साथ एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी आवासों व स्वतंत्र भूखण्ड (Plinth level) का आवंटन किया गया है। मुख्य रूप से आवंटन किराया क्रय पद्धति निर्धारित किश्तों पर किया गया है। ऐसे समस्त आवास/भूखण्ड जिनमें बकाया किश्ते व बकाया मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराई जाती है तो ब्याज व पैनेल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये भूखण्ड/आवास बहाल भी स्थानीय स्तर पर किया जावे।

कई स्थानों पर नगर निकायों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्मित किये गये है किन्तु उनका आवंटन नही हुआ है या मूल सुविधाओं के अभाव में आवास जर्जर अवस्था में हो रहे है। अतः इन आवासो में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवा कर आवंटित आवासो का कब्जा देने की कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 13.12.2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु सं. 10 को सक्षम स्तर पर आस्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः वर्तमान में उक्त बिन्दु सं. 10 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

क्रमांकः प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः 08.12.2021

–ःमार्गदर्शनः–

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत विभिन्न निकायों द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन के क्रम में विभिन्न प्रकरणों में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :–

1. लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण :–

(i) लीज होल्ड पट्टे को फ्री होल्ड करने के प्रकरणों में पूर्व में लीज होल्ड पर जारी पट्टे/लीज डीड जो पंजीकृत है उसकी प्रति संलग्न कर आवेदक द्वारा आवेदन संबंधित निकाय में किया जावेगा।

निकाय द्वारा लीज राशि व बकाया अन्य राशि का मांग पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक द्वारा मांगपत्र अनुसार राशि जमा कराने के पश्चात् लीज होल्ड पट्टे के पंजीयन का उल्लेख (पंजीयन दिनांक, क्रमांक, पुस्तक संख्या, जिल्द संख्या आदि) एवं यदि पूर्व में नाम हस्तानान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन भू–उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि/बढी हुई भूमि आदि के आदेश जारी हुए हैं तो उनका भी उल्लेख करते हुये नया फ्री–होल्ड पट्टा तैयार किया जावेगा जिसमें पंजीयन हेतु प्रतिफल राशि/स्टाम्प ड्यूटी वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2021 व विभागीय आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुसार अंकित की जावेगी। तत्पश्चात निकाय द्वारा आवेदक से मूल लीज होल्ड पट्टा प्राप्त कर आवेदक को रसीद दी जायेगी।

फ्री–होल्ड पट्टा पंजीयन हेतु उप पंजीयन कार्यालय को भिजवाया जायेगा। नया फ्री–होल्ड पट्टा पंजीकृत होने के पश्चात् आवेदक द्वारा उसकी एक प्रति स्थानीय निकाय में रिकार्ड की पूर्ति के प्रयोजन से जमा करानी होगी। नगरीय निकाय का दायित्व होगा कि नये फ्री–होल्ड पट्टे का नोट पूर्व में जारी मूल लीज होल्ड पट्टे पर अंकित करते हुए संबंधित पत्रावली मे नत्थी करे।

(II) फ्री–होल्ड हेतु लीज की गणना विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2021 के अनुसार निम्न प्रकार की जावे :

a. यदि भूखण्डधारी प्रत्येक वर्ष लीज जमा करा रहा है, तो अग्रिम 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त ली जावेगी।

b. यदि पूर्व में 8 वर्ष की लीज एकमुश्त जमा करा दी गयी है, तो अग्रिम 2 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त (आवंटन के समय की दर पर) ली जावेगी।

c. यदि पूर्व के वर्षों से लीज राशि बकाया है, तो बकाया लीज राशि की गणना कर उसमें 60 प्रतिशत की छूट देते हुये 40 प्रतिशत बकाया लीज राशि एवं 10 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एकमुश्त ली जावेगी।

d. ऐसे प्रकरणों में अन्य कोई बकाया राशि है, तो ली जावेगी।

e. मौका रिपोर्ट की आवश्यकता नही है।

(III) लीज–होल्ड पट्टा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में ऋण हेतु जमा हो तो उसके संबंध में अलग से मार्गदर्शन/आदेश जारी किये जा रहे हैं।

2. योजनाओं के भूखण्डों में राजकीय भूमि के फ्री होल्ड पट्टों के संबंध में :–

(i) निजी कृषि भूमि की टाउनशिप योजना–निजी कृषि भूमि की टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना में राजकीय भूमि/निकाय की भूमि सम्मिलित होने पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के

प्रावधानों के अनुसार ही राजकीय भूमि की राशि आरक्षित दर अथवा कृषि भूमि की डीएलसी दर में से जो भी अधिक हो, की दर से राशि ली जावे।

चूंकि राजकीय भूमि की राशि योजना के अनुमोदन के समय ही जमा हो जाती है अतः टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत स्वीकृत योजना के भूखण्डों में स्वामित्व से अधिक भूमि होने पर एवं पट्टा देने के बाद खांचा भूमि/बढ़ी हुयी भूमि के प्रकरणों में राशि आरक्षित दर/डीएलसी दर की 10 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से ली जाकर आवंटन किया जाकर फ्री–होल्ड पट्टा दिया जावे।

(ii) कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियां दिनांक 17.06.1999 से पूर्व/पश्चात् कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में राजकीय भूमि सम्मिलित होने अथवा सम्पूर्ण योजना निकाय की आवाप्त शुदा भूमि अथवा राजकीय भूमि पर बसी हुयी है, तो 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों में आरक्षित दर/डीएलसी दर की 10 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से राशि ली जावे।

300 वर्गमीटर से अधिक के आवासीय भूखण्डों एवं अन्य सभी प्रकार के भूखण्डों में अधिसूचना दिनांक 30.11.2017 के अनुसार ही राशि देय होगी। 300 वर्गमीटर तक क आवासीय भूखण्डों में स्वामित्व से अधिक भूमि होने पर एवं पट्टा देने के बाद खांचा भूमि/बढ़ी हुयी भूमि की राशि आरक्षित दर/डीएलसी दर 10 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से ली जाकर आवंटन किया जावे।

(iii) निकायों की योजनाओं में फ्री–होल्ड पट्टा निकायों की योजनाओं में भूमि निष्पादन नियम 1974 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों में खांचा भूमि का आवंटन आरक्षित दर पर तथा बढ़ी हुई भूमि आवंटन दर/नीलामी दर पर आवंटित किया जावे।

3. 500 व.मी. तक के आवासीय भूखण्डों में पट्टे के साथ भवन निर्माण स्वीकृतिः–

500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में पट्टे के साथ भवन निर्माण स्वीकृति दिये जाने के आदेश विभाग द्वारा दिनांक 14.06.2021 को जारी किए गये हैं। विभागीय अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के अनुसार 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों में जी.1 तक के भवन निर्माण हेतु मात्र 500/– रूपये तथा 300 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में मात्र 1500‐– रूपये लिये जावें। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु अन्य कोई राशि नही ली जायें। यदि भूखण्ड रिक्त हो तो भवन निर्माण स्वीकृति एवं निर्मित है तो भवन निर्माण/विस्तार जैसी भी स्थिति हो की स्वीकृति के साथ पट्टा दिया जावे।

नोटः– 500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों में भू–तल+प्रथम तल तक के निर्माण में लेबर सेस व वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 के अनुसार पट्टे के साथ जारी भवन निर्माण स्वीकृति के समय नहीं लिया जावे, भूखण्ड पर निर्माण/निर्माण विस्तार आरम्भ करने पर निर्माण की लागत 10 लाख रू से अधिक हो तो लागत की 1 प्रतिशत राशि लेबर सेस के रूप में लेबर विभाग में जमा करानी होगी एवं 225 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर वर्षा जल संग्रहण के प्रावधान करना आवश्यक होगा। भू–तल+प्रथम तल से अधिक निर्माण एवं अन्य प्रयोजन के भूखण्डों पर भवन विनियमों के अनुसार सभी प्रकार का शुल्क देय होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23012–21 दिनांक :– 29.10.21

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम जयपुर हैरिटेज/बीकानेर,
नगर परिषद चित्तौडगढ/हनुमानगढ/ भीलवाडा।
नगरपालिका भोपालगढ/सुमेरपुर/कपासन/
रानीखुर्द।

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में नगरीय निकायों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन बाबत।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में नगरीय निकायों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र. सं.	नगरीय निकाय का नाम	बिन्दु	मार्गदर्शन
1.	श्री संदीप शर्मा सभापति नगर परिषद चित्तौडगढ (पत्र दिनांक 06.10.2021)	1. वर्ष 2013 में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को कच्ची बस्तीयों को चिन्हीत किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा गैर अधिसूचित कच्ची बस्तीयों में सर्वेधारी/गैर सर्वेधारी अतिक्रमियों को पट्टे जारी किये गये थे उन्ही बस्तियों में कई आवेदको की राशि जमा है लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने से उक्त आवेदकों को पट्टे जारी नही किये जा सके थे एवं साथ ही अन्य आवेदकों द्वारा जो की कटऑफ डेट 15 अगस्त 2009 के पूर्व वहां निवास कर रहे है, उनके द्वारा भी पट्टो की मांग की जा रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जारी की गई गाईडलाईन में अधिसूचित कच्ची बस्ती के स्थान पर 15 अगस्त 2009 तक बस चुकी कच्ची बस्तियों में पट्टे दिये जाने का अधिकार स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को दिये जावे, साथ ही निवेदन है कि नगर परिषद में अधिसूचित कच्ची बस्तियों के संबंध में कोई भी रिकार्ड मौजूद नही है। जिससे इस आदेश के तहत कार्य किया जाना संभव नही हो पा रहा है।	विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु सं. 18 अनुसार नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचित कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले सर्वेधारी गैर सर्वेधारी को पट्टा देने की कट ऑफ डेट 15.08.2009 रखी गई थी, उसे यथावत रखा गया है। गैर अधिसूचित कच्ची बस्तियों में निवास करने वालों को पट्टा देने का प्रावधान नही है।
		2. चित्तौडगढ नगरीय क्षेत्र में गांधीनगर में आईएचएसडीपी योजना क्षेत्र में 124 परिवार कब्जा कर काफी समय से निवास कर रहे है, इन परिवारों द्वारा विगत कैम्प के दौरान भी उक्त स्थल पर ही पट्टा दिये जाने की मांग की गई, किन्तु उक्त क्षेत्र योजना क्षेत्र होने से इन परिवारों को तत्कालीन समय में भी पट्टे नही दिये जा सके। अतः इस अभियान के दौरान उक्त 124 परिवारों को योजना क्षेत्र में पट्टे दिये जाने के निर्देश प्रदान करावे।	नगर परिषद की एम्पावर्ड कमेटी प्रकरणों की पात्रता की जांच कर निर्णय लेवें।

		3. चित्तौडगढ नगरीय क्षेत्र में 01.01.1991 से पूर्व परिषद भूमि पर कब्जा कर निवास कर आवेदकों को अधिकतम 300 वर्गगज तक के निर्मित भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। अतः दिनांक 01.01.1991 से पूर्व परिषद भूमि पर कब्जा कर निवास कर रहे आवेदकों को भी इस अभियान में पट्टे दिये जा सकते है अथवा नही उचित मार्गदर्शन प्रदान करावे।	विभागीय आदेश दिनांक 20.06.2021 के बिन्दु सं. 4 स्टेट ग्रांट एक्ट हेतु कट ऑफ डेट सामान्य वर्ग हेतु दिनांक 01. 01.1990 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 01.01.1996 निर्धारित है। स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक पूर्व निर्धारित एक रूपये टोकन दर पर आवासीय पट्टा निर्धारित नॉर्म्स की अनुपालना करते हुए जारी किया जा सकता है।
2.	आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ (पत्रांक 13975 दिनांक 05. 10.2021)	1.हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र में ऐसी कच्ची बस्ती/ डि–नोटिफाईड कच्ची बस्ती/ कृषि भूमि पर बसी अस्वीकृत आवासीय कॉलोनियां जिनकी बसावट मौका पर मास्टर प्लान के अनुरूप है, ऐसे क्षेत्रों में जोनल डवलपमेन्ट प्लान लागू किये बिना मास्टर प्लान के आधार पर ही कच्ची बस्ती/डि नोटिफाईड कच्ची बस्ती/कृषि भूमि पर बसी अस्वीकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऐसे नियमित किये जाने वाले क्षेत्रों को प्रक्रियाधीन जोनल डवलपमेन्ट प्लान में कमीटमेन्ट जोन मानकर मास्टर प्लान के अनुसार ही रखा जावेगा।	एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाना अनिर्वाय है। अतः उक्त कार्यवाही शीघ्र की जाकर अनुमोदित जोनल प्लान के अनुसार कार्यवाही की जावे।
		2. हनुमानगढ परिषद क्षेत्र में ऐसी कच्ची बस्ती क्षेत्र जिन्हें डि नोटिफाई कर दिया गया है, ऐसे डि नोटिफाई ऐरिया में धारा 69 के तहत् पट्टे दिये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें।	कच्ची बस्ती जिसे नगर परिषद द्वारा कच्ची बस्ती से डि– नोटिफाइड किया जा चुका है, ऐसे डि–नोटिफाइड क्षेत्र के प्रकरणों को पात्रता के आधार पर राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत् परीक्षण कर निर्णय लिया जावें।
		3.राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8(क)(या)डीएलबी/19/4768 दिनांक 14.10.19 द्वारा ऐसे भूखण्ड जिन पर निर्माण किया गया हो को खांचा भूमि के रूप में आवंटित किये जाने पर रोक लगाई गई है। हनुमानगढ नगर परिषद क्षेत्र में खांचा भूमि के प्रकरणों जिनमें मालिकों द्वारा भूखण्डों पर निर्माण/चारदीवारी कर रखा है जो स्वतंत्र भूखण्ड की श्रेणी में नही आती है ऐसे प्रकरणों में खांचा भूमि नियमन/आवंटन किये जाने बाबत मार्गदर्शन प्रदान करे।	प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 28.09. 2021 के बिन्दु सं. 23 में खांचा भूमि के दिये गये संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार की जावे।
		4. राज्य सरकार द्वारा अभियान अन्तर्गत डि नोटिफाईड क्षेत्रों में नियमन राशि रूपये 1159/– प्रतिवर्ग गज निर्धारित की गई है। जो कि बहुत ज्यादा है। उक्त राशि को न्यूनतम किये जाने हेतु निवेदन है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के संबंध में विभाग द्वारा जारी बुकलेट में 15. 08.2009 के तहत के कब्जा नियमन बाबत कोई दिशा निर्देश नही है। कृपया मार्गदर्शन देवे।	विभागीय आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु सं. 18 द्वारा नोटिफाइड कच्ची बस्ती में कब्जो के नियमन की कट ऑफ डेट दिनांक 15.08.09 निर्धारित है। नियमानुसार राशि ली जावें।

		5. राज्य सरकार द्वारा अभियान के अन्तर्गत चिन्हित नगर मित्रों को निकाय के स्तर पर ही अस्थाई रूप से नियुक्त कर तकनीकी कार्य करवाया, जाकर उन्हें न्यूनतम मानदेय नगर निकाय द्वारा दिया जाने से आमजन पर आर्थिक बोझ नही पडेगा। एवं निकाय के तकनीकी कार्यो का निस्तारण भी शीघ्रता से हो सकेगा। कृपया मार्गदर्शन देवें।	नगर मित्रों की सेवायें वैकल्पिक है। आम नागरिकों की सहायता /सुविधा के लिए नगर मित्र पंजीकृत किये गये है।
		6. 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात आवासीय कॉलोनियों की अपंजीकृत इकरारनामों/बैयनामों की कट ऑफ डेट 31.12.2018 निर्धारित की गई है। उक्त कट ऑफ डेट के पश्चात् हनुमानगढ नगरीय क्षेत्र में बहुत से भूखण्ड क्रय/विक्रय हुए है उक्त कट ऑफ डेट बढाये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करे।	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2021 (अभियान निर्देशिका–1 के पृष्ठ 132–135) के बिन्दु सं. 1(iii)(iv) एवं 5(ii) में प्रावधान स्पष्ट है तथा आदेश दिनांक 21.10.21 के बिन्दु सं. 1 में प्रावधान स्पष्ट है, तद्नुसार कार्यवाही की जावे।
3.	आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ (पत्रांक 4848 दिनांक 22.10.21)	पूर्व में जो क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन थे तथा अब उक्त गांव नगर परिषद में सम्मिलित हो गये है और भूमि नगर परिषद चित्तौडगढ के नाम दर्ज है, किन्तु उक्त क्षेत्र में निवासरत आबादी के पास अपने भूखण्ड/भवन का पंचायत से स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नही है, लेकिन ऐसे लोग वर्षो से निवासरत होकर इनके पास बिजली, पानी कनेक्शन के दस्तावेज उपलब्ध है, क्या ऐसे प्रकरणों में 69–ए के तहत् पट्टे दिये जा सकते है अथवा नही।	विभागीय परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावें।
4.	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भोपालगढ (जोधपुर) (पत्रांक 826 दिनांक 24.09.21)	नगरपालिका भोपालगढ का गठन अभी मार्च माह में ही हुआ है। यह है कि यहां पंचायत द्वारा जारी लगभग 2000 पट्टों का पंजीयन नही हो रखा है। इन पट्टों को क्या अब नगरपालिका पंजीयन करवा सकती है या नही यदि करवाती है तो क्या कोई शुल्क लिया जावे।	पंचायत के ऐसे वैध पट्टे जिन पर निर्माण है। ऐसे पंचायत पट्टों को नगर निगम द्वारा पट्टाधारी से समपर्ण कराकर विभागीय परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के प्रावधानों के तहत् धारा 69–ए के अन्तर्गत पट्टा निर्धारित शुल्क जमा कर जारी किया जा सकता है।
5.	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर (पत्रांक 1087 दिनांक 23.10.21)	वर्णित परिपत्र के बिन्दु सं. 11 अनुसार परिधि क्षेत्र में कृषि भूमि पर खातेदार द्वारा आवासीय निर्माण करने पर 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क पट्टा दिये जाने के आदेश है जिसके अनुसार खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि पर निवास गृह बनाये हुये है तथा निवास कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा व कोरोना महामारी पश्चात जीवन यापन में आये बदलाव से प्रवासी गांववासी अपने गांव में आ जाने से निर्मित आवास/निवास गृह का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से बढाकर 700 वर्गमीटर किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त प्रस्ताव स्वीकार योग्य नही है।
6.	उपायुक्त हवामहल–आमेर जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर (पत्रांक 1297 दिनांक 16.09.21)	पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में काफी संख्या में आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाडी आबादी खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम है। उक्त बसी हुई आबादी के लोगों को पट्टे देने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जावें।	इसके पश्चात् उक्त गैर मुमकिन पहाडी आबादी दर्ज प्रश्नगत भूमि यदि वन भूमि नही है और अन्य प्रतिबन्धित भूमि नही है तो उक्त भूमि पर बसे हुये परिवारों को पट्टे देने हेतु अभियान के जारी विभागीय आदेश दि. 28.09.21 के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया जाकर नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त कर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

7.	आयुक्त नगर निगम बीकानेर (पत्रांक 9925 दिनांक 22. 10.21)	ग्राम पंचायत शिवबाडी द्वारा कांता खतुरिया आवासीय योजना वर्ष 1969–70 में स्वीकृत की गई जिसमें कुछ भूखण्डों का विक्रय/आवंटन पंचायत द्वारा किया गया। वर्ष 1994–95 में उक्त क्षेत्र तत्कालीन नगर परिषद बीकानेर को हस्तानान्तरित हो गया। योजना के कुछ भूखण्डों पर अतिकमण हो गये तथा पंचायत के कई पट्टों को जिला कलक्टर द्वारा खारिज भी किया गया एवं कुछ का रिकार्ड नगर निगम को प्राप्त नही हुआ। नगर परिषद द्वारा उक्त योजना के एच ब्लॉक में समय समय पर भूखण्डों को नीलामी से विकय किया गया। अभियान में उक्त कॉलोनी के भूखण्डधारी जिनके पास पंचायत के पट्टे है किन्तु निगम में रिकार्ड नही है, ऐसे लोग 69–ए के पट्टों की मांग कर रहे है। विभागीय आदेश दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु सं. 04(iv) के अनुसार नगरीय निकाय योजना में 69–ए के अन्तर्गत पट्टे नही देने का प्रावधान उल्लेखित है। प्रकरण में ऐसे पंचायत पट्टाधारियों को 69–ए के पट्टे देने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जावें।	विभागीय परिपत्र दिनांक 27.09. 2021 के बिन्दु सं. 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि नगरीय निकाय की किसी योजना की भूमि पर धारा 69–ए के पट्टे जारी नही किये जा सकते है।
8.	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कपासन (पत्रांक 4930 दिनांक 22. 10.2021 तथा 4931 दिनांक 22. 10.2021)	1. कपासन नगर के स्वीकृत मास्टर प्लान–2021 में परिधि नियंत्रण पट्टी से व्यावसायिक भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक कमांक 102/2010 दिनांक 20.04.2010 द्वारा कपासन के खसरा नम्बर 2325 क्षेत्रफल 1845 वर्गगज किया गया। तत्पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा 90–बी के अन्तर्गत पुर्नग्रहण आदेश कमांक/मिसल नम्बर 04/2010 दिनांक 05.10.2010 को जारी किया गया। तत्पश्चात भूमि का नामान्तरण नगरपालिका कपासन के नाम हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अब पट्टे की मांग की जा रही है। प्रासंगिक अधिसूचना के बिन्दु सं. 9 में व्यावसायिक भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत या डीएलसी का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो लेने का उल्लेख है। चूंकि उक्त प्रकरण में परिधिय नियंत्रण पट्टी में स्थित कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक किया गया है। क्या इस प्रकरण में भी भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत या डीएलसी का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो वसूला जायेगा या केवल प्रशासनिक शुल्क 10 रूपया प्रतिवर्गमीटर वसूला जायेगा।	यदि वर्ष 2010 में समस्त कार्यवाही हो चुकी है तो समस्या क्या है नगर पालिका स्पष्ट करें।
		2. नगरपालिका द्वारा नन्दवाना नगर आवासीय योजना सन 1984 में योजना बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का भूखण्ड आवंटित किये गये थे तथा उनकों आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटन पत्रों की पंजीकृत लीजडीड पालिका द्वारा जारी नही की गई तथा अहस्तान्तरित होने के लिए आवंटन पत्र पर शर्त अंकित की गई थी। तत्पश्चात मूल आवंटियो ने अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर भूखण्डों का विकय कर दिया गया। अपंजीकृत इकरारनामों के आधार पर आगे से आगे भूखण्ड विकित होते गये। अब प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में अन्तिम केता द्वारा अपने नाम से पट्टा विलेख जारी करने की मांग की जा रही है। अब पंजीकृत इकरारनामे के आधार पर क्या उनको नवीन पट्टे जारी किये जा सकते है अथवा नही ? यदि जारी किये जा सकते है तो उनसे शुल्क किस दर से वसूला जायेगा ? क्या अन्तिम केता के नाम पंजीकृत पट्टा विलेख जारी किये जा सकते है अथवा नही ?	ऐसे प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 21.10. 2021 एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। उक्त पट्टों के अहस्तान्तरित होने की शर्त में शिथिलता हेतु नगर पालिका की अभिशंषा सहित विस्तृत प्रस्ताव मय दस्तावेज राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

9	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानीखुर्द (पत्रांक 4572 दिनांक 21. 10.2021)	1. पुरानी आबादी में 69—ए के अन्तर्गत निदेशालय के निर्धारित पट्टा प्रारूप में जारी करने है लेकिन स्थगन आदेश के बाद निर्धारित प्रारूप में अंकित शर्तो के अलावा अन्य क्या शर्त जोडी जानी है।	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।
		2. पुरानी आबादी के 69—ए में मूल दस्तावेज के अनुसार भूमि के अलावा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद अतिरिक्त भूमि का नियमानुसार राशि लेकर पट्टा जारी किया जावे या नही।	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।
		3. पुरानी कब्जे जो ओरण/गौचर/ किसी विभाग /वन विभाग को छोडकर अन्य कब्जों के नियमन के पूर्व अभियान 2012 में जारी आदेश/ निर्देश के तहत कर सकते है या नही।	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जारी आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।
10.	आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा (पत्रांक 13110 दिनांक 22.10.2021)	भीलवाडा शहर में नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास दोनो कार्यरत है। शहर का जोनल/सेक्टर प्लान बनाने का कार्य यूआईटी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जोन ए, सी, डी का जोनल प्लान तैयार कराया जा रहा है एवं परिषद क्षेत्र के जोन बी, ई का जोनल प्लान कराने हेतु कार्यादेश जारी नही किया गया है, जिस कारण परिषद क्षेत्र का जोनल प्लान नही बनने से शहर की घनी आबादी क्षेत्र की सडको का मार्गाधिकार का निर्धारण नही होने से अभियान अवधि में पट्टा दिये जाने की कार्यवाही बाधित हो रही है। मास्टर प्लान में पुरानी आबादी क्षेत्र में सडक मार्गाधिकार का निर्धारण किया हुआ नही होने से पट्टे दिये जाने की कार्यवाही बाधित हो रही है।	सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा मुख्य नगर नियोजक कार्यालय में हुई बैठक दिनांक 12.10.2021 में सभी जोनल प्लान दिनांक 22.10.2021 तक आपत्ति /सुझाव हेतु तैयार कर लिये जाने की सहमति दी गई है। अतः नगर विकास न्यास से समन्वय करते हुए जोनल प्लान का कार्य शीघ्र पूर्ण करावें। मास्टर प्लान/जोनल प्लान/ अनुमोदित योजना के अनुसार ही सडकों का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

क्रमांकः—PSKS/अभियान—21/डीएलबी/21/24915—25145 दिनांकः—23.11.21

1.आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
2. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिकाऐं,
समस्त राजस्थान।
3. सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।

विषयः— प्रशासन शहरों के संग अभियान—2021 से सम्बन्धित बिन्दूओं पर मार्गदर्शन बाबत।

प्रशासन शहरो के संग अभियान—2021 के सम्बन्ध में अनेक नगरीय निकायों से प्राप्त बिन्दुओं पर शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2021 को समिति की हुई बैठक के निर्णयानुसार निम्नानुसार मार्गदर्शन जारी किया जाता हैः—

क्र. सं.	बिन्दु	मार्गदर्शन	
A	धारा 69—ए के सम्बन्ध में		
	1	69—ए के जारी नियमों में दस्तावेज सरेण्डर के सम्बंध में पूर्व में जारी पट्टे/लाईसेंस को साक्ष्य सबूत के रूप में ग्राह्य किया गया है। नगर परिषद बाड़मेर में पूर्व में जागीरदारों के मूल पट्टे एवं उनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं है तथा मूल पट्टा बड़ा होने के कारण आगे कई लोगों में उपविभाजित होने के कारण लोगों के पास मूल पट्टे की प्रति उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाये। स्टेट ग्राण्ट के पट्टों को सरेण्डर कर लोग 69—ए का पट्टा लेना चाहते हैं।	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के संशोधित परिपत्र दिनांक 12.11.21 के बिन्दू संख्या 3(ग) (i) के नोट में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	2	69—ए के नियमों के तहत आवासीय व व्यावसायिक दोनों प्रकार के पट्टे जारी किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पुराने आबादी क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित परिसरों के विधिक स्वामित्व दस्तावेजों के जरिये क्रय/हस्तान्तरण के आवासीय परिसरों पर व्यावसायिक निर्माण हैं व व्यावसायिक पट्टे चाहे जा रहे हैं। मास्टर प्लान अनुसार क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों हेतु आरक्षित हैं किन्तु भू उपयोग परिवर्तन नियमों के तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं। कुछ परिसर ऐसे भी हैं जिनमें भू उपयोग परिवर्तन नियम लागू होने से पूर्व नगर परिषद् बोर्ड द्वारा व्यावसायिक भवन अनुज्ञा जारी की गई हैं।	69—ए के जारी संशोधित परिपत्र दिनांक 12.11.21 बिन्दू संख्या 3(क) (ix) में स्पष्ट किया हुआ हैं।
	3	राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम/1981/1992/2007 के तहत पूर्व में संपरिवर्तित भूमियों (एकल भूखण्ड) के भू—भाग बेचान करने पर बसी आबादी कोलोनियों के भूखण्ड धारियों को पट्टे जारी करने बाबत।	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 3 (ग) (ii) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 31.8.21 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	4	तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर महोदय द्वारा एकल युनिट के रूपान्तरण आदेश पश्चात खातेदार द्वरा स्वयं के स्तर पर उपविभाजन कर अन्य व्यक्तियों को रजिस्टर्ड बेचान कर दिया गया है, ऐसे प्रकरणों में आन्तरिक सड़के 15—20—25 फीट की है तथा अधिकतर भूखण्ड धारकों द्वारा भवन निर्माण कर लिया गया है शेष भूखण्ड धारको का स्वीकृति किस प्रकार दी जावें	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 3 (ग) (ii) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 31.8.21 में प्रावधान स्पष्ट हैं।

	5	नगर पालिका क्षेत्र नीमकाथाना में कपिल मण्डी के नाम से वर्ष 1955 में स्कीम बनाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भू–खण्डो का आवंटन करते हुऐ पट्टे जारी किये गये थे। उक्त आवंटन उपरान्त सभी भूखण्डधारक दुकान व मकान बनाकर आबाद है। किन्तु अधिकांश भूखण्डधारको के पास अज्ञानतावश पट्टे सुरक्षित नहीं है। अतः जिनके पास पट्टे सुरक्षित/उपलब्ध नहीं है ऐसे भूखण्डधारकों से पूर्व में जारी पट्टे के संबन्ध में समर्पणनामा लिया जाकर निर्धारित शुल्क लिया जाकर नवीन पट्टे जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक 73007 दिनांक 12.11.21 के बिन्दू संख्या 3(ग) (i) के नोट में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	6	राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम/1981/1992/2007 के तहत पूर्व में संपरिवर्तित भूमियों (एकल भूखण्ड) के भू–भाग बेचान करने पर बसी आबादी कोलोनियों के भूखण्ड धारियों को पअ्टे जारी करने बाबत।	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 3 (ग) (ii) एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 31.8.21 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	7	तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलक्टर महोदय से एकल श्रेणीयों के कई संपविर्तित कराये जाने के पश्चात उनका संयुक्तिकरण बिना अनुमोदन कराये कर दिया गया है अब भवन में अतिरिक्त मंजिल विस्तार अथवा भवन के भाग को गिराकर पुनः भवन निर्माण स्वीकृति चाहने के प्रकरणों के संबंध में।	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 31.8.21 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	8	यदि मौके पर कब्जा स्वामित्व दस्तावेज से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाये?	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक 22969 दिनांक 29.10.21 के बिन्दु संख्या 1 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	9	69–ए के जारी होने वाले पट्टों के पहुंच मार्ग के संबंध में स्थिति स्पष्ट करे?	मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/अनुमोदित ले–आउट प्लान में कोई सड़क प्रस्तावित होने की स्थिति में प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार को छोड़ते हुए पट्टे जारी किये जाये। गैर योजनागत पुराने सघन आबादी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा पूर्व के कमिटमेन्ट, भवन निर्माण स्वीकृतियां व पूर्व का सर्वे एवं मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़को का मार्गाधिकार नगरीय निकायो द्वारा किया जावेगा।
	10	क्या 69–ए के अन्तर्गत पट्टा आवासीय के साथ–साथ गैर आवासीय भी जारी किया जा सकता है?	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक 73007 दिनांक 12.11.21 के बिन्दू संख्या 3 (क) (ix) में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	11	कुछ शहरों में राजा/महाराजाओं द्वारा अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर कॉलोनियां काटकर भूखण्डों का बेचान कर दिया गया तथा समय–अन्तराल पर ऐसी भूमियॉ नगर निकायों को स्थानांतरित कर दी गई है। तो क्या ऐसी भूमि पर बसे लोगों को 69–ए के अन्तर्गत पट्टे जारी किये जा सकते है?	हा, ऐसे लोगों से सम्पूर्ण चैन दस्तावेज लेकर 69–ए के पट्टे जारी किये जा सकते है। स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 1 (ii) में प्रावधान स्पष्ट हैं।

	12	कुछ शहरों में कृषि मण्डी विकास समिति द्वारा आवंटन पत्र जारी किये गये है। उन आवंटन पत्रों को भी समर्पित करवाकर आवेदक के पक्ष में 69–ए के पट्टे जारी किये जा सकते हैं क्या?	यदि उक्त भूमि का वर्तमान में स्वामित्व एवं अधिकार नगरपालिका का हैं तो उन आवंटन पत्रों को भी समर्पित करवाकर आवेदक के पक्ष में 69–ए के पट्टे जारी किये जा सकते हैं।
	13	भूखण्ड पर तीन मंजिला भवन निर्मित है। तीनों फ्लोर पर एक ही परिवार के अलग–अलग सदस्य निवास करते हैं तो भूखण्ड का पट्टा आपसी सहमति से तीनों के नाम संयुक्त रूप से जारी किया जा सकेगा क्या?	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 9 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
	14	भूखण्ड पर निर्मित विभिन्न तलों पर भिन्न–भिन्न क्षेत्रफल का स्वामित्व अलग–अलग आवेदकों के होने की स्थिति में निवास करने वाले समस्त लोगों को कैसे पट्टा जारी किया जावेगा?	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 9 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
	15	ग्राउण्ड फ्लोर पर व्यावसायिक निर्माण एवं ऊपर आवास होने की स्थिति में किस उपयोग का पट्टा जारी किया जावेगा?	स्वायत शासन विभाग परिपत्र क्रमांक 68191दिनांक 27.9.21 के बिन्दू संख्या 3 (iv) एवं नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के संशोधित परिपत्र क्रमांक 73007 दिनांक 12.11.21 के बिन्दू संख्या 3 (क) (ix) में प्रावधान स्पष्ट हैं।
B	स्टेट ग्राण्ट के पट्टो के सम्बन्ध में		
	1	पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों का मौजूदा भवन रेखा मानते हुये मौके पर उपलब्ध सडक की चौडोई के अनुरूप पट्टा दिये जाने की स्वीकृति होने से अधिकाधिक पट्टे जारी किया जाना संभव हो सकेगा।	मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/अनुमोदित ले–आउट प्लान में कोई सड़क प्रस्तावित होने की स्थिति में प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार को छोड़ते हुए पट्टे जारी किये जाये। गैर योजनागत पुराने सघन आबादी क्षेत्रों मेंनगरीय निकायोंद्वारा पूर्व के कमिटमेन्ट, भवन निर्माण स्वीकृतियां व पूर्व का सर्वे एवं मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़को का मार्गाधिकार नगरीय निकायो द्वारा कियाजावेगा।
	2	यदि भवन पुस्तैनी है एवं क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक है तो पारिवारिक बंटवारानामा एवं आपसी सहमति के आधार पर एक ही परिवार के दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से 300–300 वर्गमीटर तक का पट्टा अलग–अलग जारी किया जा सकते है क्या?	विभागीय आदेश दिनांक 20.9.13 (अभियान की मार्ग निर्देशिका–1 के पृष्ठ 203 पर उपलब्ध) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावे।
	3	यदि भूखण्ड के नीचे दुकान एवं उपर मकान है अर्थात भूखण्ड का आंशिक उपयोग व्यवसायिक एवं आंशिक उपयोग आवासीय है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को मिश्रित पट्टा जारी किया जा सकता है क्या?	स्टेट ग्रान्ट में केवल आवासीय पट्टा ही जारी किया जा सकता है।
	4	स्टेट ग्राण्ट के पट्टों का पंजीयन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करावे?	स्टेट ग्राण्ट के पट्टों का पंजीयन अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है एवं पट्टे का पंजीयन शुल्क केवल 100/– रूपये है। पूर्व में जारी पट्टाधारक पंजीयन करवाना चाहता है तो पट्टे का पुनर्वेध/पुर्ननिष्पादन करवाया जाकर पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 23 के अन्तर्गत पंजीयन करवा सकता है।

C		90–ए/90–बी के पट्टो के सम्बन्ध में	
	1	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा 17.06.1999 से पूर्व तथा पश्चात कृषि भूमि पर बसी कोलोनियों के भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट दिनांक 31.12.2018 निर्धारित की गई है।	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.10.21 में वर्णित वित्त विभाग के आदेश क्रमांक वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30. 9.21 में अपंजीकृत दस्तावेजो के सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट दिये हुए हैं।
	2	नगरपालिका आबूरोड के परिधिय क्षेत्र में एवं न्यास क्षैत्राधिकार के अन्य राजस्व ग्रामों में राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एकल युनिट के रूपान्तरण 90–बी व अन्य तथा संपरिवर्तन पश्चात खातेदार/विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से उप विभाजन प्लान अनुमोदित कराकर भूखण्डों को रजिस्टर्ड बेचना अन्य व्यक्तियों को किया गया ऐसी योजनाओं में उपविभाजन प्लान अनुसार आंतरिक सड़के व सुविधा क्षेत्र जारी एकल पट्टे के आधार पर रिकॉर्ड अनुसार खातेदार/विकासकर्ता के नाम ही है ऐसी योजनाओं में कुछ भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है तथा कुछ पर निर्माण हेतु आवेदक न्यास में आवेदन कर रहे है ऐसे प्रकरणों के संबंध में।	सक्षम स्तर से अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार सड़के एवं सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखते हुए प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकते है।
	3	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत रूपान्तरण प्रकरण में मिलने वाले पहुंच मार्ग के संबंध में।	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.9.21 (अभियान की मार्ग निर्देशिका–1 के पृष्ठ 137–139 पर उपलब्ध) के बिन्दू संख्या 4 में पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	4	नगरपालिका क्षेत्र सरदारशहर में काफी कोलोनियों में आवासीय निर्माण हो चुके है जिनके तत्समय 90 बी की कार्यवाही होकर नगरपालिका सरदारशहर के नाम भूमि इन्द्राज हो चुकी है। उक्त कार्यवाही के दोरान कोलोनीयो के ले–आउट प्लान स्वीकृत नही किये गये थे, राज्य सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार जिन शहरो की आबादी 1.0 लाख से कम है उनके जोनल डवलपमेन्ट प्लान की आवश्यकता नही है, उन कोलोनीयो के ले–आउट प्लान स्वीकृत होने की स्थिति में पट्टे जारी किये जा सकते है परन्तु सरदारशहर क्षेत्र में बहादुरसिंह कोलोनी, बीकानेर रोड पर स्थित कोलोनियॉ, सोहनलाल जी बाडी, कच्चा बस स्टैण्ड के आस पास की कोलोनियॉ, कच्चा बस स्टेण्ड के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नं 58,59,60 में स्थित कोलोनियॉ इत्यादि की 90बी की कार्यवाही तो हो चुकी है परन्तु ले–आउट प्लान का अनुमोदन नही हुवा है जिसके कारण नवीनतम आदेश के अनुसार पट्टे जारी करने में दिक्कते पैदा हो रही है इस संबध में इस कार्यालय का सुझाव निम्न हैः– 1. नगरपालिका क्षेत्र में बसी हुवी कोलोनीयो के पहुॅच मार्ग 20–30 फीट के उपलब्ध हो रहे है अतः पहुॅच मार्ग के न्युनतम माप पर शिथिलता प्रदान की जावे ताकि उक्त कोलोनियो क ले–आउट प्लान तैयार करवाये जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जा सके उक्त कोलोनियो में विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70	कृषि भूमि रूपान्तरण हेतु दिनांक 17.6.99 से पूर्व की बसी हुई कॉलोनी में प्लाटिंग एवं सुविधा क्षेत्र का अनुपात 70 :30 का तथा 17.6.99 के बाद की कॉलोनी में प्लाटिंग एवं सुविधा क्षेत्र का अनुपात 60 : 40 का होना अनिवार्य हैं।

		प्रतिशत से ज्यादा का हो चुका है जिसके कारण सुविधा क्षेत्र,रोड क्षेत्र तय मापदण्डानुसार उपलब्ध नही हो पा रहा है अतः इस संबंध में छुट प्रदान की जावे ताकि उक्त कोलोनियो क ले–आउट प्लान तैयार करवाये जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जा सके ।	
	5	1. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.1999 तक बसी हुई कॉलोनियों के ले–आउट प्लान अनुमोदित करने की स्वीकृति दी हुई है उक्त कटऑफ डेट 17.06.1999 से बढाकर यदि दिनांक 31.03.2021 तक की जाती है तो काफी अधिक आमजन को लाभन्वित किया जा सकता है। 2. वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी हुई कॉलोनियों के ले–आउट प्लान बनवाये जाकर स्वीकृत करवाये गये थे। लेकिन तत्समय उक्त स्वीकृति कॉलोनियों में जिन भू–खण्डो के चारदीवारी नहीं थी वे भू–खण्ड ले–आउट प्लान में शामिल नहीं हो सके थे। अतः ऐसी स्वीकृति में जो भू–खण्ड ले–आउट प्लान में सम्मिलित नहीं हुए थे उनके सप्लीमेन्ट्री ले–आउट प्लान स्वीकृत कर अनुमोदन करने की स्वीकृति दी जावे।	1. उक्त सुझाव पर राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जावेगा। 2. नियमानुसार ले–आउट प्लान में संशोधन की कार्यवाही की जा सकती हैं।
	6	राज्य सरकार द्वारा जनहित के कार्यो को किये जाने हेतु प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021, 2 अक्टूम्बर 2021 से चलाया जाना है। उक्त अभियान में छूट प्रदान कर जनहित में आदेश जारी करने की कृपा करे। 1. मास्टर प्लान में आवासीय से भिन्न भू: उपयोग होने पर उन कॉलोनियो के ले आउट स्वीकृत नही किये जा रहे है। जबकि कॉलोनियों में 50 प्रतिशत बसावट हो गई है। भू: उपयोग के अधिकार स्थानीय स्तर पर दिये जाकर ले आउट अनुमोदन कर पट्टे जारी किये जावे। 2. जो कॉलोनियॉं पूर्व में बस चुकी है जिनमें रास्ते की चौड़ाई 30 फिट से कम है उन कॉलोनीयों में स्थित रास्ता चौड़ाई पर ही ले आउट अनुमोदन किया जाकर पट्टे वितरण किया जावे। 3. जिन कॉलोनियो में खाते की भूमि से अधिक भूमि पर कॉलोनी बस गई है। बडी हुई भूमि की राशि खातेदार/भूखण्डधारक से जमा करवाई जाकर नियमन पटटे जारी किये जावे। 4. दो कॉलोनियों के मध्य सरकारी/नगरपालिका की भूमि जो कॉलोनी में मिल गई है या मिला दी गई है कि राशि खातेदार/कोलोनाइजर से जमा करवाई जाकर कॉलोनी नियमित की जावे।	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.10.21 के बिन्दू संख्या 2 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	7	कुछ ऐसे ले–आउट प्लान हैं जो अभियान–2012 में जैसा है, जहां है, के आधार पर अनुमोदित हुए थे, जिसमें सड़के 30 फीट से कम हैं, लेकिन उक्त प्लान अनुमोदन होने से पूर्व ही 30 फीट पर कुछ लोगों के पट्टे जारी किये हुए हैं एवं प्लान अनुमोदन के पश्चात प्लान में स्वीकृत सड़कों के अनुसार पट्टे जारी किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ एक सड़क पर पांच पट्टे 30 फीट सड़क छोड़ते हुए जारी किये गये हैं एवं बाकि शेष पट्टे प्लान की सड़क अर्थात 20	अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार कार्यवाही की जावे।

		फीट के अनुसार जारी किये गये हैं, तो पूर्व में जारी पट्टेधारियों द्वारा अनुमोदित सड़क के अनुसार शेष भूमि के पट्टे की मांग की जा रही है।	
	8	कुछ प्रकरणों में खातेदार द्वारा नोटेरी पर मुख्तयारनामा/पावर ऑफ एर्टोनी निष्पादित किया जाता हैं एवं कॉलोनी में भूखण्डों का बेचान उक्त अपंजीकृत मुख्तयारआम/प्रतिनिधि द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि उक्त मुख्तयारनामा/पावर ऑफ एर्टोनी अपंजीकृत होती है तो क्या अभियान में ऐसे अपंजीकृत मुख्तयारनामा/पावर ऑफ एर्टोनी द्वारा किये गये बेचानों को वैध मानते हुए पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है या नहीं?	मुख्तयारनामा/पावर आफ अटार्नी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से किया गया विक्रय मान्य हैं।
	9	कुछ प्रकरणों में भूखण्डों के स्वामित्व के चैन दस्तावेजों में अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर पट्टे/नामान्तरण के लिए आवेदन किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या अपंजीकृत बंटवारानामा के आधार पर पट्टा दिये जाने/नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं?	सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति एवं शपथ पत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती हैं।
	10	कृषि भूमि के कुछ अनुमोदित प्लानों के बीच में राजकीय भूमि स्थित होती है, जहां कुछ जगह लोग बस चुके हैं एवं कुछ भूखण्ड खाली हैं। ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही की जावे?	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.10.21 के बिन्दू संख्या 2 में प्रावधान स्पष्ट हैं।
	11	ऐसी कृषि भूमियां जिन पर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—बी सपठित धारा 91 अथवा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि को खालसा/सिवायचक घोषित कर दिया गया है लेकिन मौके पर कॉलोनीया बस चुकी है, ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जावे?	राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 177 के अन्तर्गत घोषित की गई भूमि पर राजकीय भूमि की दरे देय होगी।
	12	पूर्व अभियान 2012 में सुओमोटो तैयार करवाये गये ले—आउट प्लान के बीच में खाली पॉकिट दर्शित है, जिनमें कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन वर्तमान में बसावट हो चूकी है। ऐसी स्थिति में पॉकिट में निर्मित छोटे भूखण्डों के कैसे पट्टे जारी किये जा सकते है?	रिक्त भूमि का नियमानुसार ले—आउट प्लान अनुमोदित/पूर्व अनुमोदित ले—आउट प्लान का संशोधन कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
	13	कुछ कृषि भूमि में अनुमोदित ले—आउट प्लान में दर्शित कुछ भूखण्डों के दो या तीन टुकड़े करके बेचान कर दिये गये हैं, एवं वर्तमान में अलग—अलग आवेदकों द्वारा पट्टे के लिए आवेदन किये जा रहे है, उदाहरणार्थ। व्यक्ति ने 400 वर्गगज का भूखण्ड खातेदार/विकासकर्ता से खरीदा एवं उसमें से 200 वर्गगज भूखण्ड ठ को बेचान कर दिया गया।	ले—आउट प्लान में सारभूत परिवर्तन हैं तो ले—आउट संशोधन की प्रक्रिया अपनाते हुए उपविभाजन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती हैं।
	14	कुछ प्रकरणों में खातेदार द्वारा भूखण्डों का बेचान अलग—अलग किया गया किन्तु मौके पर बसावट न होने के कारण सुओमोटो ले—आउट प्लान में तैयार करते समय उक्त भूखण्डों को मिलाते हुए एक बड़ा भूखण्ड दर्शाया गया है। अब लोगों द्वारा अलग—अलग भूखण्डों के पट्टे के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन ले—आउट प्लान में एक ही भूखण्ड दर्शित है। ऐसी स्थिति में क्या किया जावे?	ले—आउट प्लान में सारभूत परिवर्तन हैं तो ले—आउट संशोधन की प्रक्रिया अपनाते हुए उपविभाजन की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती हैं।

D	कच्ची बस्ती के नियमन के सम्बन्ध में		
	1	सन् 1998 में कच्ची बस्तियों में अहस्तान्तरित पटटे जारी किए गए थे जिनमें से आज की तारीख तक 90 प्रतिशत लोग यहॉ से छोड़कर चले गए तथा जो परिवार यहां वर्तमान समय में निवास कर रहे है, उन परिवारों के मकानों के पटटे हस्तान्तरित रूप जारी कर दिए जाए तो सुचारू रूप से इनका मकान स्वयं के नाम से हो जाएगा।	नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.21 के बिन्दू संख्या 18 (ii) एवं आदेश दिनांक 12.11.21 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावे।
	2	1. कच्ची बस्ती पहाड़गज क्षेत्र में निजी खातेदारी भूमि में सबूतों के अभाव में एवं भूमि कब्रिस्तान, पीडब्ल्यूडी की नाम दर्ज होने के कारण पट्टे नहीं जारी किये जा रहे हैं। 2. कच्ची बस्ती माखुपुरा, परबतपुरा अजमेर विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये जा सके। 3. आशागंज हरिजन बस्ती में मार्गाधिकार व तरमीम नहीं होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। 4. कुछ कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जो विभिन्न राजकीय विभागों के नाम दर्ज हैं। जिनमें राजकीय विभागों व निजी खातेदारी भूमि की तरमीम नहीं है। 5. कुछ कच्ची बस्तियों में खसरों की भूमि की किस्म आबादी न होकर कृषि भूमि हैं, उनमें नियमन की कार्यवाही कैसे की जाये।	1. नीजि खतेदारी भूमि / कब्रिस्तान पर बसी कच्ची बस्ती का नियमन नही किया जावे। यदि वर्ष 2004 की सर्वेक्षित/अधिसूचित कच्ची बस्ती हैं तो उक्त विभाग की एन ओ सी प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती हैं। लेकिन मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शाये सुविधा क्षेत्र/भू–उपयोग की पालना सुनिश्चित की जावे। 2. कच्ची बस्ती क्षेत्राधिकार अजमेर विकास प्राधिकरण का है तो ऐसी स्थिति में अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम अजमेर की आपसी सहमति के आधार पर दोनों मे से कोई एक नियमन की कार्यवाही कर सकेगा। 3 मार्गाधिकार कायम करने एवं तरमीम करने के अधिकार अभियान अवधि के दौरान प्राधिकृत अधिकारी निगर निगम अजमेर को प्राप्त हैं, तदअनुसार मौके पर बसवाट के अनुसार तरमीम की कार्यवाही की जावे। 3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मौके पर बसवाट के अनुसार तरमीम की कार्यवाही की जा सकती है। 4. नीजि खतेदारी भूमि पर बसी कच्ची बस्ती का नियमन नही किया जावे। यदि वर्ष 2004 की सर्वेक्षित/ अधिसूचित कच्ची बस्ती हैं तो उक्त विभाग की एन ओ सी प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती हैं। लेकिन मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शाये सुविधा क्षेत्र/भू–उपयोग की पालना सुनिश्चित की जावे।

			5. कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियो हेतु वर्तमान निर्धारित प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जावे।
	3	कच्ची बस्तियों के सन्दर्भ में यह भी निवेदन है कि कुछ व्यक्ति जिनका मौके पर कब्जा है परन्तु वर्ष 2004 की सर्वेसूचि में नाम नही है। ऐसे व्यक्तियों के सन्दर्भ में भी मार्ग दर्शन प्रदान करावे की इस मामले मे क्या निर्णय लिया जावे	स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक 5342–5542 दिनांक 11.5.11 द्वारा कट ऑफ डेट दिनांक 15.8.09 निर्धारित हैं।
	4	क्या पुरातात्विक स्थल से 200 मीटर की परिधि में कच्ची बस्ती नियमन किया जा सकता है?	पुरातत्व सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमन नही किया जा सकता है।
	5	क्या वन–विभाग की भूमियों पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन किया जा सकता है?	वन भूमि पर नियमन करने का प्रावधान नही है।
	6	कच्ची बस्ती पूर्व में स्वीकृत किसी योजना में बसी हुई है तो क्या ऐसी कच्ची बस्तीयों का नियमन किया जा सकता है?	केवल अधिसूचित/सर्वेक्षित कच्ची बस्तीं में ही नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती हैं।
	7	कच्ची बस्ती का मास्टर प्लान या जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उपयोग आवासीय नहीं है तो क्या ऐसे प्रकरण को जनहित का मानते हुए सक्षम स्तर से भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी?	केवल अधिसूचित/सर्वेक्षित कच्ची बस्तीं में ही नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जा सकती हैं, ऐसी यदि किसी कच्ची बस्ती का मास्टर प्लान या जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उपयोग आवासीय नहीं है तो व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाकर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भेजा जावे।
	8	क्या नोटिफाईड कच्ची बस्तियों के अलावा सर्वेक्षित कच्ची बस्तियां जो राजीव आवास योजना, आई.एच.एस.डी.पी. योजना में सर्वेक्षित है। ऐसी कच्ची बस्तीयो में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट (15.08.2009) से पूर्व से निवास करने वाले परिवारों का नियमन किया जा सकता है?	वर्ष 2004 की सर्वेक्षित /अधिसूचित कच्ची बस्तियों में ही नियमन की कार्यवाही की जा सकती हैं। स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक 5342–5542 दिनांक 11.5.11 द्वारा कट ऑफ डेट दिनांक 15.8.09 निर्धारित हैं।
	9	अधिसूचित एवं सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों में केवल कच्ची बस्ती नियमन नीति के अन्तर्गत 110 वर्गगज तक का ही नियमन किया जा सकता है, क्या कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि पर कब्जा नियमन के परिपत्रों के अन्तर्गत नियमन किया जा सकता है?	अधिसूचित एवं सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों में केवल कच्ची बस्ती नियमन नीति के अन्तर्गत 110 वर्गगज तक का ही नियमन किया जा सकता है।
	10	चित्तोड़गढ़ नगर परिषद आयुक्त द्वारा प्रश्न उठाया गया कि राजकीय भूमि पर कच्ची बस्ती बसी हुई है, जो नगर परिषद के नाम नहीं है, ऐसी कच्ची बस्ती का नियमन किस प्रकार किया जावे?	वर्ष 2004 की सर्वेक्षित अधिसूचित कच्ची बस्तियों में ही नियमन की कार्यवाही की जा सकती। नगरीय

			विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक 72517 दिनांक 12.11.21 के प्रावधानो अनुसार कार्यवाही की जावे।
	12	कच्ची बस्ती नियमन हेतु सड़कों की चौड़ाई के संबंध में क्या प्रावधान है?	कच्ची बस्ती नियमन में सड़कों की चौड़ाई के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सड़कें न्यूनतम 15 फीट रखी जायें।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

अतिरिक्त अनुक्रमणिका

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.17(9)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांक :–22.07.2019

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 (2) राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 17 तथा एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 7.1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चेरिटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरो, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क मे शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प. 17(19)निविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांक :–14.09.2020

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अधीन स्थापित होने वाली ईकाईयों, उद्योगों की स्थापना एवं कृषि जिन्सों हेतु बनाये जाने वाले वेयर हाऊस एवं कोल्ड स्टोरेज के लिये कृषि भूमि के अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम (1) के अधीन देय प्रीमियम से शत–प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव, प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 जयपुर, दिनांक :–03.02.2021

आदेश

विभगीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के Provision- 6.09 (Above 10 Hectares)/4.05 (up to 10 Hectares) की तालिका के नोट संख्या "3" के अनुसार, "कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम के भूखण्डों पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश अनुसार 90–क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, भवन मानचित्र शुल्क, लीज राशि व अन्य शुल्क में शत–प्रतिशत छूट देय होगी। "का प्रावधान है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम के भूखण्डों के लिए नगरीय निकायों द्वारा बाह्य विकास एवं सीवर लाईन पर कोई व्यय नहीं किया जाता है और वहां पर सीवर लाईन और अन्य किसी बाह्य विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है, तो बाह्य विकास शुल्क/सीवर शुल्क वसूल नहीं किया जावे। लेकिन यदि भविष्य में ऐसे भूखण्डों के लिए बाह्य विकास या सीवर लाईन का कार्य नगरीय निकायों द्वारा कराया जाता है तो उसके समतुल्य शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा। इस आश्य का शपथ–पत्र आवेदक से लिया जावेगा। तथापि बी.एस.यू.पी. शुल्क ऐसे मामलों में भी वसूल किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.17(16)नविवि / नियम / 2021 जयपुर, दिनांक :–03.05.2021

<u>आदेश</u>

वर्तमान में कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की मेडिसिन ऑक्सीजन पर निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके मध्यनजर राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने–अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने के संबंध में तकनीकी एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों के प्रचलित नियमों के अनुसार निकाय स्तर से सुनिश्चितता किए जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निम्न शिथिलता / छूट व्यापक जनहित में प्रदान की जाती है :–

1. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि / अकृषि भूमि पर स्थापित किए जाने हेतु प्रभावी एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के समस्त भू–उपयोगों (प्लांटेशन बैल्ट, पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि को छोडकर) में अनुज्ञेय होंगे।
2. निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट में वाद लंबित न होने, भूमि का टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90–ए का आदेश जारी किया जावे। भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले–आउट प्लान / साईट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे। अनुमोदन पश्चात् उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञा / अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
4. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख संबंधित निकाय स्तर पर ही जारी किए जायेंगे, राज्य सरकार से पृथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
5. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम, 2012 के नियम 20 के अंतर्गत लीज राशि में छूट के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है।

महामारी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यवाही 7 कार्य दिवस में पूर्ण की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प. 17(16) नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक :– 11 अगस्त, 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप–नियम (2) एवं नियम 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान मेडिकल सुविधाओं को और सुदृढ़ किये जाने एवं भविष्य में आपदा की स्थिति में राज्य में आमजन हेतु उचित मेडिकल सुविधा/संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत मेडिकल संस्थान यथा मल्टी–स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डिस्पेंसरी (एलोपैथी/आयुर्वेद/प्राकृतिक/होम्योपैथी/यूनानी) के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम (1) के अधीन देय प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक :–एफ.7(42)जन/प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान/2021/10887–11221 जयपुर, दिनांक :–01.10.2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

समस्त आयुक्त,
विकास प्राधिकरण
अजमेर/जयपुर/जोधपुर।

समस्त सचिव,
नगर सुधार न्यास,
राजस्थान।

समस्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका
राजस्थान।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
राजस्थान।

विषय : प्रशासन शहरों/गाँवों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विभिन्न पट्टा विलेखों के पंजीयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से प्रशासन शहरों/गाँवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न प्रकार के पट्टा विलेख जारी किये जायेंगें। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–17 के अनुसार जारी पट्टा विलेख अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में आने से इनका पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. अभियान अवधि में जारी होने वाले पट्टा विलेखों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। अतः पक्षकार को जारी पट्टा विलेख पर वर्तमान में देय स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज, पंजीयन शुल्क एवं अन्य की गणना हेतु श्रेणी वार पट्टा विलेख पर देय ड्यूटी की तालिका सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। जिसमें जिस श्रेणी पर देय ड्यूटी की गणना कर पक्षकार से स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जाये।
2. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान पक्षकार द्वारा भौतिक स्टाम्प, ई–ग्रास, ई–स्टाम्पिंग, डी.डी. के माध्यम से किया जा सकता है। पट्टे पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज की राशि पट्टा विलेख जारी करने वाले स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. चूँकि पंजीयन का कार्य ऑनलाईन किया जाता है, अतः शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य किया जाना संभव नहीं है। पट्टाधारियों की सुविधा हेतु अवकाश के दिन (प्रत्येक शनिवार को) पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश पृथक से जारी किये गये है।

4. पक्षकार को पट्टा विलेख जारी कर निर्देशित करें कि पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में कराया जाना आवश्यक है। बिना पंजीयन के दस्तावेज विधिक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है। अतः पक्षकार को पट्टा जारी करने के तत्काल बाद उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन हेतु निर्देशित किया जाये।

5. स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत के प्राधिकारी का दायित्व है कि अभियान अवधि में जारी पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जावे एवं अभियान अवधि में जारी होने वाले पट्टा विलेखों की सूची मय स्टाम्प ड्यूटी जमा का प्रमाण पत्र के साथ संबंधित उप पंजीयक कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे अभियान अवधि में जारी पट्टा विलेखों का पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।

6. पंजीयन नियमों के अन्तर्गत दस्तावेजों का पंजीयन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 4 माह तक किया जा सकता है। 4 माह पश्चात पंजीयन शुल्क मय शास्ति के प्रावधान लागू होते है। अर्थात 8 माह पश्चात् दस्तावेज पंजीयन योग्य नहीं रहता है। अतः पक्षकार को पंजीयन हेतु निर्देशित किया जाये।

7. यदि पक्षकार द्वारा 8 माह पश्चात् दस्तावेज पुनः नवीनीकरण करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिफल राशि की अतिरिक्त 20% (प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) राशि पर ड्यूटी देय होती है। अतः पक्षकार को अनावश्यक आर्थिक भार वहन न करना पड़े इस कारण पट्टा विलेख के यथा शीघ्र पंजीयन हेतु निर्देशित करें।

8. अभियान अवधि के दौरान जारी होने वाले पट्टा विलेखों के पंजीयन के संबंध में गणना तालिका विभागीय वेबसाइट https://igrs.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

–स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क व अन्य की गणना–

1. इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख :–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	पूर्णतय छूट	0
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	0
3	पंजीयन शुल्क		100
4	CSI	200	200
5	योग		300/–

2. राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश :–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100/–	100/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630/–

2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120/–	120/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/–
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656/–

3. राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश :–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100/–	100/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/–
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630/–

3.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120/—	120/—
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656/—

4. राजस्थान स्लम डवलपमेंट पॉलिसी—2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश (कच्ची बस्ती) :—

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	100/—	100/—
2.	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/—
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/—
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	10/—
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		630/—

4.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर—

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	120/—	120/—
2.	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	12/—
3	पंजीयन शुल्क		300
4	CSI	200	200
5	योग		656/—

5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन जारी पट्टा विलेख :—

5.1 <u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां</u>

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रतिफल राशि x 0.5%
2.	**सरचार्ज** (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	300

5.1.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र. सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 0.5%
2.	**सरचार्ज** (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	300

5.2 <u>निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां –</u>

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रतिफल राशि x 1%
2.	**सरचार्ज** (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	300

5.2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
2.	**सरचार्ज** (SC)	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	300

6. राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत जारी पट्टा विलेख :–

6.1 आवासीय/संस्थानिक/औद्योगिक/पर्यटन इकाई के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले:–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार (Conversion Charges) x 4 = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

6.1.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र.सं.	**ड्यूटी/शुल्क**	**ड्यूटी जिस पर देय है**	**दर**
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 4 = **प्रतिफल राशि**	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

6.2 वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामलेः–

क्र.सं.	**ड्यूटी/शुल्क**	**ड्यूटी जिस पर देय है**	**दर**
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 8 = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

6.2.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र.सं.	**ड्यूटी/शुल्क**	**ड्यूटी जिस पर देय है**	**दर**
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	आवासीय संपरिवर्तन प्रभार(Conversion Charges) x 8 = **प्रतिफल राशि**	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	(प्रतिफल राशि+20%) x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

7. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–90क के अधीन जारी पट्टा विलेख :–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम + विकास प्रभार + संपरिवर्तन प्रभार + ब्याज या शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

7.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम + विकास प्रभार + संपरिवर्तन प्रभार + ब्याज या शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = **प्रतिफल राशि**	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

8. राजस्थान सरकार स्थानीय प्राधिकारी लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित एवं विक्रित भूमि के लिए जारी पट्टा विलेख :–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम+ ब्याज और शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

8.1 यदि पट्टा विलेख 8 माह पश्चात पुनः नवीनीकरण कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर–

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	प्रिमियम की रकम+ ब्याज और शास्ति + अन्य प्रभार + 2 वर्ष के औसत किराये की रकम = **प्रतिफल राशि**	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	(प्रतिफल राशि + प्रतिफल राशि x 20%) x 1%
4	CSI	–	300

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

9. स्थानीय निकाय द्वारा जारी फ्री होल्ड पट्टा विलेख –

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

10. स्थानीय निकाय द्वारा विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकारी एवं अन्य कोई संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज जो पूर्व में पूर्णमुद्रांकित है, के आधार पर जारी नया पट्टा विलेख –

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

11. स्थानीय निकाय द्वारा उप विभाजन के उपरांत भूमि का नया पट्टा विलेख जारी करने पर –

11.1 जहां उप विभाजन मूल पट्टाधारी के पक्ष में किया जा रहा है।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

11.2 जहां मूल पट्टा एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में हो और पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उप विभाजन के पश्चात् दोनों व्यक्तियों के पक्ष में अलग–अलग पट्टे जारी किये जाये।

(प्रत्येक पट्टे पर ड्यूटी अलग–अलग देय होगी)

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

11.3 मूल पट्टेदार की मृत्यु के फलस्वरूप उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में उप विभाजन के पश्चात् जारी पट्टा विलेख

(प्रत्येक पट्टे पर ड्यूटी अलग–अलग देय होगी)

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

12. एक से अधिक भू–खण्डों के पुर्नगठन पर जारी नये पट्टा विलेख

12.1 एक से अधिक भू–खण्डों का पुर्नगठन कर नया पट्टा विलेख मूल पट्टेधारी के नाम जारी होने पर।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

12.2 अलग–अलग स्वामित्व के भूखण्डों का पुर्नगठन कर नया पट्टा समस्त स्वामियों के संयुक्त नाम से उसी अनुपात की हिस्सेदारी में जारी होता है।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

13. भू–उपयोग परिवर्तन के पश्चात् जारी पट्टा विलेख।

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	दर	ड्यूटी जो देय है
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	स्थानीय निकाय द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन में लिया गया चार्ज = **प्रतिफल राशि।**	प्रतिफल राशि x 6%*
2	**सरचार्ज (SC)**		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

14. मूल खातेदार/भू–स्वामी द्वारा सहमत्ति पत्र (Assignment Deed) के द्वारा पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने वाले दस्तावेज पर देय ड्यूटी।

14.1 राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति और विकासकर्ता द्वारा जारी अधिकृत दस्तावेज।

क्र.सं.	**ड्यूटी/शुल्क**	**दर**	**ड्यूटी जो देय है**
1	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	500/–	500/–
2	**सरचार्ज** (SC)		
2.1	आधारभूत अवसंरचना	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.2	गौवंश	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	स्टाम्प ड्यूटी x 10%	50/–
3	पंजीयन शुल्क		300/–
4	CSI	200	200/–
5	योग		1150/–

14.2 अन्य प्रकरणों में Assignment Deed का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो निम्न तालिका अनुसार ड्यूटी ली जायेगी। यदि Assignment deed अपंजीकृत और अमुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेज के रूप में प्राप्त होता है, तो ड्यूटी तालिका संख्या– 14.2 (बाजार मूल्य x 20% पर कन्वेन्स की दर से) के अनुसार ली जायेगी।

क्र.सं.	**ड्यूटी/शुल्क**	**ड्यूटी जिस पर देय है**	**दर**
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	स्थानीय निकाय द्वारा Assignment Deed के आधार पर जारी पट्टा विलेख पर ली गई राशि = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 2%
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
3	पंजीयन शुल्क	–	प्रतिफल राशि x 1%
4	CSI	–	300

15. **मध्यवर्ती दस्तावेज :–** यदि दस्तावेज के साथ पट्टा जारी होने से पूर्व अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर भूमि का हस्तांतरण किया गया है तो उन अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क देय है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जानी है:–

15.1 राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में आवंटन आदेश के आधार पर पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अमुद्रांकित लिखत पर देय मुद्रांक शुल्क की गणना –

क्र.सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	मूल आवंटन की राशि x 1.5 गुणा = **प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

नोट – संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत /अमुद्रांकित लिखितों की संख्या का विवरण देते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा और पट्टा धारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाण पत्र और अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखितों की प्रति प्रस्तुत करेगा। इन अपंजीकृत और अमुद्रांकित प्रत्येक दस्तावेज पर उपरोक्तानुसार गणना कर मुद्रांक शुल्क एवं सरचार्ज वसूल किया जायेगा।

15.2 नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसायटियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखत पर देय स्टाम्प ड्यूटी –

(निम्न छूट प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 अवधि 02.10.2021 से 31.03.2022 तक प्रभावी है।)

क्र. सं.	ड्यूटी/शुल्क	ड्यूटी जिस पर देय है	दर
1.	स्टाम्प ड्यूटी (SD)	भूमि के बाजार मूल्य का 20% या एग्रीमेंट में दी गई प्रतिफल राशि का 20%, **(जो भी अधिक हो) = प्रतिफल राशि**	**प्रतिफल राशि** x 6%*
2.	**सरचार्ज** (SC)	–	
2.1	आधारभूत अवसंरचना	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.2	गौवंश	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%
2.3	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण	–	स्टाम्प ड्यूटी x 10%

*** सामान्य 6%, SC/ST/BPL महिला के अलावा महिला 5%, SC/ST/BPL महिला 4% और दिव्यांग 5%**

नोट – संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत /अमुद्रांकित लिखितों की संख्या का विवरण देते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा और पट्टा धारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाण पत्र और अपंजीकृत और अमुद्रांकित लिखितों की प्रति प्रस्तुत करेगा। इन अपंजीकृत और अमुद्रांकित प्रत्येक दस्तावेज पर उपरोक्तानुसार गणना कर मुद्रांक शुल्क एवं सरचार्ज वसूल किया जायेगा।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 04.10.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number FA (2)FD/Tax/2018-38 dated 02.07.2021, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed relating to a flat or residential unit, market value of which does not exceed rupees fifty lakh, in a multistorey building exceeding four floors shall be reduced and charged at the rate of four percent, if such conveyance deed is executed and presented for registration upto 31.12.2021.

This notification shall be effective from 01.10.2021.

[No.FA(2)FD/Tax/2018-70]
By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक :–एफ.7(42)जन/प्रशासन शहरों के संग अभियान/2021/14599 जयपुर, दिनांक :–21.12.2021

परिपत्र

विषय– प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 के अन्तर्गत जारी विभिन्न पट्टा विलेखों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2022 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित कर नगर निगम, नगर सुधार न्यास एवं स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये पट्टा विलेखों पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30.09.2021, अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–55 दिनांक 30.09.2021, अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–56 दिनांक 30.09.2021 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई। उक्त अधिसूचनाओं द्वारा जारी छूट के संबंध में अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत पट्टा विलेखों में देय स्टाम्प ड्यूटी के सम्बंध में अधिसूचनाओं में निर्धारित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है। इस संबंध में निम्न बिन्दुवार पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:–

1. **फ्री–होल्ड पट्टा विलेख:–** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–56 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा जारी फ्री–होल्ड पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी 500/– रूपये निर्धारित की गई। यह छूट उन्हीं पट्टा विलेखों पर देय होगी, जो पट्टा विलेख लीज होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तित होगा। अर्थात् यदि पक्षकार द्वारा स्थानीय निकाय से पूर्व में लीज होल्ड का पट्टा जारी कराया हुआ है एवं उसका पंजीयन तत्समय पक्षकार द्वारा करवा लिया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार स्थानीय निकाय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर लीज होल्ड से फ्री–होल्ड का पट्टा प्राप्त किया गया है, तो ही उक्त छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि स्थानीय निकाय द्वारा खातेदार/पक्षकार के पक्ष में सीधे ही फ्री–होल्ड का पट्टा जारी किया जाता है तो उक्त छूट देय नहीं होकर राज्य सरकार की अधिसूचना एफ. 4(2)वित्त/कर/2021–272 दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या–7 के अनुसार प्रिमियम की रकम, विकास प्रभार, परिवर्तन प्रभार ब्याज या शास्ति यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर कन्वेंस की दर से स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी। यदि फ्री–होल्ड पट्टा विलेख में स्थानीय निकाय द्वारा प्रिमियम की रकम, विकास प्रभार, परिवर्तन प्रभार, ब्याज या शास्ति आदि राशि का अंकन नहीं हैं तो स्थानीय निकाय से इन मदों में ली गई राशि की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जावे। फ्री होल्ड पट्टा विलेख के पंजीयन से पूर्व पक्षकार से पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टे की प्रति संलग्न करावें। यदि पूर्व में जारी लीज होल्ड पट्टा विलेख का पंजीयन पक्षकार द्वारा नहीं कराया गया है, तो अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की वसूली हेतु रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) में दर्ज कराया जावें। पट्टा विलेख के पंजीयन से पूर्व उसके आधार दस्तावेजों की विधिवत जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में जो आधार दस्तावेज निष्पादित किये गये हैं, उन पर पक्षकार द्वारा देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जा चुका है। यदि कोई दस्तावेज अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत पाया जाये तो कलक्टर (मुद्रांक) में रेफरेन्स दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
2. **न्यू–लीज डीड** – राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–56 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकार आदि के आधार पर जारी न्यू लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 500/– रूपये निर्धारित की गई है। इस प्रकार का पट्टा विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर पक्षकार से जिस आधार दस्तावेज के आधार पर न्यू लीज डीड जारी की गई है की प्रति प्राप्त करें एवं यह सुनिश्चित करे कि विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकार का दस्तावेज पूर्व में पंजीबद्ध है, जिसके आधार पर पट्टा जारी किया गया है। यदि दस्तावेज अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत पाया जाता है तो कलक्टर (मुद्रांक) में रेफरेन्स दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
3. **मध्यवर्ती दस्तावेज** – राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30.09.2021 द्वारा मध्यवर्ती अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। <u>अधिसूचना में दिये गये नोट के अनसुार पट्टा विलेख जारी करते समय संबंधित स्थानीय निकाय ऐसी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती</u>

अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन के तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक संख्या जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करावेगा। पट्टा धारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाण पत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। उप पंजीयक मध्यवर्ती दस्तावेजों के लिये बिना प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की प्रतियों के लीज डीड का पंजीयन नहीं करेगा एवं मध्यवर्ती दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज वसूल करेगा। अधिसूचना में दिये गये नोट का उद्देश्य यह है कि अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत मध्यवर्ती दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर राशि वसूल की जा सके। राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती दस्तावेजों पर भी छूट दी गई है। ध्यान में आया है कि अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों की पालना नगरीय स्थानीय निकाय एवं उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा नहीं की जा रही है। जिससे राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि होती है। अतः पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व उसके आधार दस्तावेजों की प्रतियां पक्षकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। आवासीय सहकारी सोसायटियों और अन्य कोई व्यक्ति द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत और अमुद्रांकित दस्तावेज पर बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। पट्टा विलेख के साथ लगे दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर जितने मध्यवर्ती दस्तावेज है, उन पर अधिसूचना अनुसार गणना करते हुए स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज वसूल किया जावे।

यदि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित और विक्रित पट्टा विलेख में मध्यवर्ती अपंजीकृत और अमुद्रांकित दस्तावेज पाया जाये तो आवंटन राशि के 1.5 गुणा पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जावे। यदि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा लीज होल्ड का पट्टा जारी करने के बाद पक्षकार द्वारा अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देता है एवं क्रेता द्वारा अपने पक्ष में फ्री–होल्ड का पट्टा जारी कराया जाता है, तो मध्यवर्ती दस्तावेज पर आवंटन राशि के 1.5 गुणा पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जावे।

4. **सहमति पत्र** – खातेदार द्वारा अपनी भूमि में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (नगरीय भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम–(3) और नियम–19 के उप नियम–(1) के अन्तर्गत जारी सहमति पत्र पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(7)वित्त/कर/2021–55 दिनांक 30.09.2021 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट/परियोजना में खातेदार/विकासकर्ता एवं अन्य कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रोविजनल आवंटन पत्र या सहमति पत्र के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत प्रपत्र (द) के आधार पर पट्टा विलेख जारी किया जाता है, तो पर ऐसे सहमति पत्र/आवंटन पत्र पर 500/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी प्रत्येक विलेख पर देय होंगे। साथ ही पट्टा विलेख पर राज्य अधिसूचना प. 4(2)वित्त/कर/2021–272 दिनांक 24.02.2021 के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी।

अन्य किसी मामले में अर्थात् राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के अतिरिक्त अन्य मामलों मे आवंटन पत्र खातेदार/विकासकर्ता एवं अन्य कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रोविजनल आवंटन पत्र या सहमति पत्र के आधार पर पट्टा विलेख जारी किया जाता है, तो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(7)वित्त/कर/2021–54 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी, 2010 के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रकरणों में आवंटन पत्र या सहमति पत्र पंजीबद्ध होने हेतु प्रस्तुत होता है, तो ऐसे दस्तावेज पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ली गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

विभिन्न प्रकार के पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क की गणना किस प्रकार की जानी है, इसके संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में पत्रांक एफ.7(42)जन/प्रशा. शहरों एवं गाँवों के संग अभियान. /2021/10887–11221 दिनांक 01.10.2021 के संलग्न प्रेषित की गई गणना तालिका का अवलोकन करावें। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त गणना तालिका विभागीय वेबसाइट https://igrs.rajasthan.gov.in/ पर भी अपलोड करवाई गई है।

भवदीय,
(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक :–25.11.2021

–: अधिसूचना :–

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है –

1. जोन स्तरीय कमेटी का गठन

संबंधित जोन उपायुक्त	–	संयोजक
उप/सहायक नगर नियोजक	–	सदस्य सचिव
तहसीलदार	–	सदस्य
संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियन्ता	–	सदस्य

2. उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :–
   1. दिनांक 17.06.199 से पूर्व सृजित आवासीय योजनाओं के ले–आउट प्लान का अनुमोदन।
   2. 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन।
   3. अनुमोदित योजनाओं मे संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदन।
   4. 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र अनुमोदन (प्लिंथ/स्टिल्ट+18 मीटर ऊंचाई तक के भवन)।
   5. गृह निर्माण सहकारी समिति/खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन।
   6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति/शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक :–**01.12.2021**

–: आदेश :–

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु सं. 7 में उल्लेखित प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल में भी अभियान अवधि में लागू रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प. 17(1) नविवि / अभियान / 2021 जयपुर, दिनांक :– 07 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमों के 17 के उप नियम (6–ए) के अधीन लॉटरी से निर्धारित दर पर आवंटित भूखण्डों के 10 वर्ष पूर्व हस्तान्तरण के लिए देय लेवी जो वर्तमान में निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति वर्गमीटर
1	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 10%
2	5 से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 5%

उक्त लेवी को प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए घटाकर निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

क्रम सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति वर्गमीटर
1	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 5%
2	5 से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 2.5%

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक :–प.8(ग)( )PSKS)/डीएलबी/21/25817-26030 जयपुर, दिनांक :–21.12.2021

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
राजस्थान

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– समसंख्यक विभागीय पत्र क्रमांक 23384–651 दिनांक 02.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 693–1195 दिनांक 07.12.2021

———————

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा प्रसांगिक पत्र/आदेश जारी किये जा कर विभिन्न आदेशों/परिपत्रों एवं सरकार द्वारा दी गई रियायतों की जानकारी आम जनता को पूर्ण रूप से दिये जाने संबंधी जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराकर पट्टे हेतु आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ाने एवं अधिकाधिक पट्टे जारी किये जाकर शहरी आम जनता को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

किन्तु नगरीय निकायों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों का उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर विभाग के ध्यान में लाया गया है कि राज्य की नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्त विभागीय निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी करने हेतु आवंटित लक्ष्य की पूर्ति किये जाने में कठिनाई आ रही है।

अतः पुनः निर्देश दिये जाते है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक विभागीय पत्र क्रमांक 23384–651 दिनांक 02.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 693–1195 दिनांक 07.12.2021 के निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करे अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 23.12.2021

आदेश

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभियान के दौरान प्रथम चरण में नगरीय निकायों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों की समीक्षा लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु किये जा रहे कार्य, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/छूट/शिथिलताओं की जानकारी प्रदान करने एवं कार्यों के निष्पादन में आ रही कठिनाईयों पर चर्चा करने हेतु नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं अभियान के कार्यों से संबंधित सभी निकाय कर्मचारियों की जिला स्तर पर कार्यशाला राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी व मार्गदर्शन में आयोजित की जावेगी।

इस हेतु निम्नानुसार छः दलों का गठन किया जाता है

1. **प्रथम दल**
   - डॉ. जी. एस. संधू, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग।
   - श्री एच. एस. संचेती, सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक।
   - श्री अवधेश सिंह, संयुक्त शासन सचिव – तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
   - श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग।
   - उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग।
   - प्रेक्षक संबंधित संभाग।
2. **द्वितीय दल**
   - श्री कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
   - श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
   - श्री एन. के. वर्मा, उप निदेशक (प्रशासन), डीएलबी।
   - उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग।
   - श्री भीमसिंह, तकनीकी सलाहकार, नगरीय विकास विभाग।
   - प्रेक्षक संबंधित संभाग
3. **तृतीय दल**
   - श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
   - श्री आर. के. तुलारा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
   - श्री राजपाल चौधरी, उप नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
   - उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग।
   - प्रेक्षक संबंधित संभाग
4. **चतुर्थ दल**
   - श्री दीपक नंदी, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग।
   - श्री संदीप दण्डवते, अति. मुख्य नगर नियोजक पूर्व, नगर नियोजन विभाग।
   - श्री संजय माथुर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, डीएलबी।
   - उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग
   - प्रेक्षक संबंधित संभाग।

5. पंचम दल

- श्री आर. के. विजयवर्गीय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
- श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग
- श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
- उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग
- प्रेक्षक संबंधित संभाग

6. षष्टम दल

- श्री नवनीत कुमार, संयुक्त शासन सचिव– द्वितीय, नगरीय विकास विभाग
- श्री ओ. पी. पारीक, मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)
- श्री संजीव कुमार पाण्डेय अतिरिक्त निदेशक, डीएलबी।
- श्री नितिन नेहरा, उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
- उप निदेशक क्षेत्रीय एवं क्षेत्रिय वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित संभाग
- प्रेक्षक संबंधित संभाग।

इस हेतु निम्नानुसार जिलेवार निकायों की बैठक किया जाना प्रस्तावित है :–

क्र.स.	संभाग	जिला (कुल नगरीय निकाय)	दल	दिनांक व स्थल
1.	उदयपुर	उदयपुर (5) + (1 UIT)	प्रथम	13.01.2022 (उदयपुर)
		डूंगरपुर (2)		08.01.2022 (डूंगरपुर)
		बांसवाड़ा (3)		07.01.2022 (बांसवाड़ा)
		प्रतापगढ़ (2)		06.01.2022 (प्रतापगढ़)
		चित्तौड़गढ़ (6) + (1 UIT)		05.01.2022 (चित्तौड़गढ़)
		राजसमंद (4)		09.01.2022 (नाथद्वारा) प्रातः 09:30 बजे से
2.	अजमेर	अजमेर (8) (1 ADA)	द्वितीय	03.01.2022 (अजमेर)
		नागौर (12)		05.01.2022 (नागौर)
		टोंक (6)		07.01.2022 (टोंक)
		भीलवाड़ा (7) + (1 UIT)		06.01.2022 (भीलवाड़ा)
3.	जोधपुर	जोधपुर (6) + (1 JoDA)	पंचम	04.01.2022 (जोधपुर)
		जालौर (3)		05.01.2022 (जालौर)
		जैसलमेर (2) + (1 UIT) बाड़मेर (2) + (1 UIT)		06.01.2022 (जैसलमेर)
		पाली (9) + (1 UIT)		07.01.2022 (पाली)
		सिरोही (6)		08.01.2022 (सिरोही)
4.	कोटा	कोटा (7) + (1 UIT)	चतुर्थ	04.01.2022 (कोटा)
		बून्दी (6)		05.01.2022 (बून्दी)
		बारां (5)		06.01.2022 (बारा)
		झालावाड़ (5)		07.01.2022 (झालावाड़)

5.	भरतपुर	भरतपुर (12) + (1 UIT)	षष्ट्म	04.01.2022 (भरतपुर)
		धौलपुर (5)		05.01.2022 (धौलपुर)
		करौली (4)		06.01.2022 (करौली)
		सवाई माधौपुर (3) + (1 UIT)		07.01.2022 (स. माधौपुर)
6.	बीकानेर	बीकानेर (4) + (1 UIT)	तृतीय	04.01.2022 (बीकानेर)
		चूरू (10)		05.01.2022 (चूरू)
		हनुमानगढ़ (6)		06.01.2022 (हनुमानगढ़)
		श्रीगंगानगर (11) + (1 UIT)		07.01.2022 (श्रीगंगानगर)
7.	जयपुर	झुन्झुनूं (12)	पंचम	12.01.2022 (झुन्झुनूं)
		सीकर (10) + (1 UIT)	तृतीय	12.01.2022 (सीकर)
		अलवर (13) + (1 UIT)	द्वितीय	12.01.2022 (अलवर)
		दौसा (5)	षष्टम	12.01.2022 (दौसा)
		जयपुर जिला (प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर/हेरिटेज को छोड़कर) (12)	चतुर्थ	12.01.2022 (जयपुर)
		जयपुर विकास प्राधिकरण	सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में	15.01.2022 (जविप्रा, जयपुर)
		नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)		17.01.2022 (ग्रेटर, जयपुर)
		नगर निगम, जयपुर (हेरिटेज)		18.01.2022 (हेरिटेज, जयपुर)

- प्रत्येक कैम्प में तालिका में उल्लेखित जिलों के जिला कलक्टर , माननीय महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष संबंधित निकाय, समस्त प्राधिकरण/न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के आयुक्त/उपायुक्त/सचिव/अधिशाषी अधिकारी एवं नगरीय निकायों में अभियान के कार्यों के निष्पादन से जुड़े हुये अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारियों, नगर मित्रों व प्रेक्षकों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित किया जावेगा।
- कार्यशाला का समय प्रातः 10:30 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगा।
- कार्यशाला हेतु स्थल की व्यवस्था, जल पान, लंच आदि की व्यवस्था व अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था आदि जिन शहरों में प्राधिकरण/न्यास स्थित है उनमें संबन्धि प्राधिकरण/न्यास द्वारा तथा अन्य शहरों में मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। संबन्धित क्षेत्रिय उपनिदेशक द्वारा इस हेतु समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।
- सभी जिला स्तरीय कार्यशालायें सम्पन्न होने के पश्चात् समस्याओं के आकलन व सुझावों पर राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी बैठक में विचार–विमर्श का प्रस्ताव तैयार किये जावेगे, जिन पर राज्य स्तर से उचित आदेश पारित किये जावेगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि / 3 / 2012 जयपुर , दिनांकः 23.12.2021

आदेश

'शहर–2021' प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 का प्रथम चरण 31 दिसम्बर 2021 को समाप्ति के पश्चात् दिनांक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक समस्त स्थानीय निकायों द्वारा अभियान में सम्पादित कार्यों की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर 16 जनवरी 2022 से द्वितीय चरण के शिविरों की तैयारी करने बाबत् निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है–

1. राज्य सरकार के स्तर से 1 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022 के दौरान सम्पूर्ण राज्य में जिलेवार शहर –2021 के संबंध में कार्यशालाऐं आयोजित किये जाने का कार्यक्रम अलग से जारी किया जा रहा है, जिसमें नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग व नगर नियोजन के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित जिला कलक्टर, महापौर / उप महापौर / अध्यक्ष / सभापति / उप सभापति समस्त नगरीय निकाय, स्थानीय निकायों के अभियान से जुड़े समस्त अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जायेगा। इन कार्यशालाओं में अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ अभियान के द्वितीय चरण में अभियान को कैसे गति दी जा सकती है इस बाबत विस्तृत चर्चा की जावेगी। स्थानीय निकाय के स्तर पर जो भी बाधाऐं या भ्रांतिया उत्पन्न हो रही है, उस बाबत् स्थिति स्पष्ट की जावेगी।
   (i) इन कार्यशालाओं में प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा प्रगति व समस्याओं संबंधी एक Presentation प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें अभियान के दौरान किये गये विभिन्न कार्यों की प्रगति 69 ए के सर्वे, कृषि भूमि ले –आउट प्लान्स की स्थिति , विभिन्न स्थानीय समस्याऐं एवं उनके निराकरण बाबत सुझाव प्रस्तुत किये जावेगें। ऐसे Presentation में संलग्न परिशिष्ट में अंकित बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जावें।
   (ii) राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रांतिया दूर करने का प्रयास किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार Presentation भी दिया जा सकता है।
2. राज्य सरकार द्वारा अभियान से संबंधित 2 पुस्तके प्रकाशित की गयी है। स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्तर से इनकी प्रतियां जन प्रतिनिधियों एवं निकाय कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जावें।
3. 30 नवम्बर , 2021 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अभियान से संबंधित जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों / आदेशों इत्यादि को संकलित कर नयी निर्देशिका भाग 3 शीघ्र प्रिन्ट करवाकर उपलब्ध करवायी जा रही है।
4. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिकारियों एवं अभियान में लगे समस्त कार्मिको को राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी परिपत्र / आदेशों / छूट / शिथिलताओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी दी जावें।
5. निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर अलग से दिनांक 15.01.2022 से पूर्व आवश्यक रूप से निम्न बैठकें रखी जावेः–
   (i) स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा माननीय विधायकगण , सभापति , पार्षदगण इत्यादि के साथ बैठके।
   (ii) व्यापार मण्डल, गैर सरकारी संगठन (NGOs) लाइन्स क्लब इत्यादि से बैठके।
   (iii) निकाय के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक जिसमें कर्मचारियों को सभी जानकारियों का जायजा लिया जावे तथा प्रगति बढ़ाने हेतु रूप रेखा तैयार की जावें। प्रत्येक नगर निकाय उपरोक्त बैठकों की तारीख तय कर सभी संबंधित को सूचित करें तथा जिला स्तरीय कार्यशाला में उपरोक्त बैठकों की तारीख बाबत् जानकारी दी जावें।
6. स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत स्टाफ की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। अभियान के कारण यदि अतिरिक्त स्टाफ यथा सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियन्ता, अरबन प्लानर, प्रारूपकार इत्यादि की आवश्यकता हो, तो अविलम्ब कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) पर रखा जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे है।

7. अभियान में जारी प्रमुख दिशा – निर्देश आम जनता को दी गई विभिन्न रियायते/छूट, प्रक्रिया का सरलीकरण पंजीयन दर इत्यादि का प्रचार – प्रसार सामग्री तैयार कर स्थानीय निकाय मुख्यालय एवं निकाय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जावें । इसे निरन्तर अपडेट (अद्यतन) किया जावें ।
8. राज्य सरकार को ज्ञात हुआ है कि कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा निकाय में शहर –2021 से संबंधित समस्त प्राप्त पूर्व से लम्बित पत्रावलियों का इन्द्राज नही किया जाकर मात्र निस्तारण योग्य पत्रावलियों का ही इन्द्राज (Inward) किया जा रहा है , जो कि उचित नही है। अतः समस्त प्राप्त / पूर्व से लम्बित एवं नयी पत्रावलियों को तत्काल दर्ज किया जावें । भविष्य में लम्बित प्रकरणों की राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण प्राप्ति तिथि से 15 दिवस पश्चात् से गणना की जावेगी।
9. अभियान प्रारम्भ से अब तक प्राप्त एवं निस्तारित पत्रावलियों, विभिन्न सेवाओं में जमा राशि का विवरण नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत शासन विभाग की वैबसाइट पर अपडेट की जावें।
10. यह देखा गया है कि अभियान से संबंधित मुद्रित दिशा–निर्देश, निर्देशिकाऐं, नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध होने के बावजूद अभियान से जुड़े कार्मिकों में पूर्ण जानकारी का अभाव है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अभियान के शिविर प्रभारी द्वारा शिविर स्थल पर मुद्रित निर्देशिकाऐं, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अद्यतन सेट कैम्प स्थल पर रखा जावे । संभागवार नियुक्त प्रेक्षको द्वारा निरीक्षण के दौरान इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवायी जावे , ताकि राज्य सरकार द्वारा किये गये सरलीकरणों एवं छूट का आमजन को लाभ मिल सके।
11. अभियान में अभी तक के कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तैयार की जावे, जिसकी क्षेत्रीय उप निदेशक व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समीक्षा की जाकर राज्य सरकार को भेजे जावेगें, ताकि पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन दिया जा सके।

उपरोक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न परिशिष्ट

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

'शहर –2021' में 1 से 15 जनवरी, 2021 में नगरीय निकायों द्वारा कार्यशाला में दिये जाने वाले प्रस्तुतीकरण में प्रगति सहित निम्न सूचनाऐं सम्मिलित की जावें

1. कृषि भूमि के पट्टो के संबंध में

(i) स्वीकृत ले–आउट प्लान के संबंध में–
- कुल स्वीकृत ले आउट प्लानों की संख्या
- कुल पट्टो की संख्या
- प्राप्त आवेदनों की संख्या
- जारी पट्टो की संख्या
- शेष पट्टो की संख्या

(ii) अनुमोदन हेतु लम्बित ले–आउट प्लानों की संख्या तथा इनमें देय पट्टी की संख्या।

(iii) ले आउट प्लानों की संख्या जिनका सुओ–मोटो सर्वे कराया जाना शेष है तथा इनके संभावित पट्टो की संख्या

(iv) कॉलोनियों के सर्वे की प्रगति
- चिन्हित कॉलोनियों की संख्या
- सर्वे की टीम (दल) की संख्या
- सर्वे कब तक पूर्ण होगा तथा ले – आउट प्लान कब तक स्वीकृत होगें

(v) प्रक्रिया में सरलीकरण एवं delegation of Powers बाबत सुझाव

2. 69 – ए के तहत् जारी किये जाने वाले पट्टो के संबंध में

(i) आबादी भूमि पर कुल सम्पतियां (Households) की संख्या
- संख्या जिनका सर्वे किया जा चुका है
- पट्टे हेतु सहमत हुये भूखण्डधारियों की संख्या
- कुल जारी पट्टों की संख्या
- लम्बित पट्टो की संख्या

(ii) शेष भूखण्डधारियों (Households) की संख्या व इनके सर्वे के संबंध में आगे का प्लान
- सर्वे हेतु लगाये गये कर्मचारियों की संख्या
- यदि किसी अन्य एजेन्सी को सर्वे हेतु लगाया गया है, तो उसकी जानकारी
- स्थानीय प्रचार / प्रसार हेतु छपवाये गये पोस्टर / पम्पलेट बाबत

(iii) पार्षदों / व्यापार मण्डल संघ / क्लब / अध्यापक आदि के साथ की गई बैठकों के संबंध में जानकारी।

(iv) प्रक्रिया में सरलीकरण एवं delegation of power बाबत सुझाव

3. लीज होल्ड से फ्री – होल्ड जारी पट्टो के संबंध में

(i) जारी पट्टो की संख्या

(ii) लम्बित पट्टो की संख्या

(iii) इस संबंध में यदि कोई समस्या हो तो उसका उल्लेख

4. कच्ची बस्ती पट्टो के संबंध में

(i) जारी पट्टो की संख्या

(ii) लम्बित पट्टो की संख्या

(iii) इस संबंध में आ रही समस्या बाबत

5. उपविभाजन / पुर्नगठन / खांचा भूमि / भू – उपयोग परिवर्तन से संबंधित प्रकरणों के संबंध में

(i) कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या

(ii) लम्बित प्रकरणों की संख्या

(iii) इस संबंध में आ रही समस्या बाबत

6. **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टो के संबंध में**

(i) जारी पट्टो की संख्या

(ii) लम्बित पट्टो की संख्या

(iii) इस संबंध में आ रही समस्या बाबत

7. **संस्थानिक (विद्यालय / हॉस्पीटल आदि) प्रयोजनार्थ जारी पट्टो के संबंध में**

(i) जारी पट्टो की संख्या

(ii) लम्बित पट्टो की संख्या

(iii) इस संबंध में आ रही समस्या बाबत

8. **भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में**

(i) प्राप्त आवेदनों की संख्या

(ii) लम्बित आवेदनों की संख्या

(iii) इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

9. **नाम हस्तान्तरण के संबंध में**

(i) नाम हस्तान्तरण हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या

(ii) लम्बित आवेदनों की संख्या

10. **नगरीय निकाय द्वारा अभियान के दौरान प्राप्त राजस्व**

11. **स्टाफ के संबंध में सूचना**

(i) नियुक्त किये गये सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या (पदवार)

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की संख्या (पदवार)

(iii) अन्य कर्मचारी की आवश्यकता है, तो उसके संबंध में जानकारी तथा की गई कार्यवाही।

12. सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करना।

13. लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री – होल्ड के पट्टे देना ।

14. EWS / LIG/ MIG A&B/HIG आवासों की बकाया राशि व किस्तों में छूट एवं आंवटन बहाल करना।

15. सेक्टर रोड़ का चिन्हीकरण व Earthwork करना।

16. पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करना / पार्कों एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों (पार्क, सामुदायिक भवन आदि) का सीमाकंन करना / शहर में आधारभूत सुविधायें / परियोजनाओं का चिन्हीकरण करना।

17. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक : 02.11.2021

प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व विभाग,
राजस्थान सरकार
जयपुर।

विषयः– नगर निकायों के मास्टर प्लॉन क्षेत्र की समस्त राजकीय भूमि नगर निकायों को हस्तान्तरण करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि राजस्व विभाग के आदेश प6(9)रेवन्यू–5/96 दिनांक 08.12.2010 द्वारा नगरीय योग्य सीमा (Urbanlsable Limits) में राजकीय भूमियाँ नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये हैं, किन्तु अभी भी कई निकायों को राजकीय भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 एवं जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की घारा 48 के अनुसार प्राधिकरण के क्षेत्र से सम्मिलित समस्त ग्रामों की राजकीय भूमि प्राधिकरण क्षैत्र में सम्मिलित होते ही प्राधिकरण में निहित हो जाती है। उक्त प्रावधान नगर सुधार अधिनियम में धारा 43 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 68–ए में दिनांक 23.09.2021 को जोड़ा जा चुका है।

प्राधिकरण, नगर सुधार/नगर पालिका अधिनियमों के अनुसार जहां प्राधिकरण है वहां प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों, जहाँ न्यास है वहां न्यास क्षेत्र में सम्मलित ग्रामों व जहाँ नगर परिषद/पालिका है उनकी सीमा में स्थित समस्त राजकीय भूमि नगर निकायों को हस्तान्तरीत की जानी है।

राजस्व विभाग के पत्र प.6(107) राज–3/19 दिनांक 17.12.2019 के अनुसार नगर निकायों को हस्तान्तरित की गई भूमि कि किस्म प्रासंगिक नहीं है उसका उपयोग मास्टर प्लॉन के अनुसार किया जा सकता है अतः निकायों को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि की किस्म भी गैर–मुमकीन (वाटर बॉडी को छोड़कर) दर्ज होना आवश्यक है। साथ ही दिनांक 17.12.2019 के परिपत्र व दिनांक 23.09.2021 को अधिनियमों में जोड़े गये नये प्रावधानों के अनुसार आदेश दिनांक 08.12.2010 में नगरीय योग्य क्षेत्र के स्थान पर मास्टर प्लॉन में सम्मलित सभी ग्रामों की भूमि को हस्तान्तरित करने एवं हस्तान्तरित भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी करते हुये संबंधित निकायों को हस्तानान्तरण करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित कराने का श्रम करावे।

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :–प.11(9)नविवि/2020 जयपुर, दिनांक :–20.12.2021

आदेश

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम ....(भवन विनियम)} 2020 के विनियम – 7.8 में व विनियम 10.2 (भवन निर्माण के मानदण्ड) की तालिका 1 में निम्नानुसार नया बिन्दु जोड़ा/समायोजित किया जाता है :–

7.8 लघु एवं मध्यम शहरों में दो हेक्टेयर एवं बड़े शहरों में पाँच हैक्टेयर व इससे अधिक क्षेत्रफल के विशिष्ट उपयोग परिसर के अर्न्तगत खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्लैक्स) हेतु भवन मानदण्ड तालिका 1 के क्रम संख्या 8 अनुसार होंगे।

10.2 भवन निर्माण के मानदण्डः– भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत् भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई की सीमायें व मानक बी.ए. आर. तालिका–1 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

तालिका – 1

भूखण्डों पर (आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, स्पोर्टस, कॉम्पलैक्स) भवन निर्माण हेतु मानदण्ड

क्र सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम भू–आच्छादन	न्यूनतम सैटबेक्स (मी.)	अधिकतम ऊंचाई (मी.) (सड़क मार्गाधिकार के अनुसार)	मानक बी.ए.आर.
8	स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स स्कीम	25%	सैटबेक योजनानुसार मान्य होंगे	-	0.40
	नोट :– परिसर में ऐसे भवन जो कि चारों तरफ से दीवार से घिरा च छत से ढका हुआ हो बी.ए.आर. की गणना में शामिल होगा।				

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि / 2020 जयपुर, दिनांक : 24.12.2021

आदेश

मॉडल राजस्थान (नगरी क्षेत्र (शहर का नाम.....................) भवन विनियम} 2020 में विद्यमान प्रावधानों को निम्नानुसार अतिरिक्त / प्रतिस्थापित / संशोधित किया जाता है—

1. अनुसूची—2 के बिन्दु संख्या 14 (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
   "14(ii) विनियम 5.3(2)(iii) के अनुसार, 50 मीटर तक के वाणिज्यिक भूखण्डों को पार्किंग शुल्क संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा स्वयं के स्तर से निर्धारित किया जाकर तदानुसार देय होगा।"
2. विनियम संख्या 19.4(iii) में निम्नानुसार प्रावधान जोडा (Added) जाता है —
   किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुविद डिग्री प्राप्त किये अधिकतम पांच वर्ष हुए हों, हेतु पंजीकरण राशि का प्रावधान निम्नानुसार होगा—

- राज्य के स्थानीय युवा वास्तुविद—रूपये 20,000/— एकमुश्त व रूपये 7,500/— प्रति वर्ष (Renewal Fee)

  नोटः—

  - ऐसे वास्तुविद जिन्हे वास्तुविद की डिग्री प्राप्त किये 5 वर्ष (आदेश जारी होने के उपरांत पंजीकरण हेतु आवेदन तिथि से) नहीं हुये है, वे वास्तुविद 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए निर्माण स्वीकृति / पूर्णताः एवं अधिवास प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु अधिकृत होंगे एवं ऐसे पंजीकृत वास्तुविद जिन्हें वास्तुविद की डिग्री प्राप्त किये 5 वर्ष से अधिक हो गये है वे मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 में वर्णित वर्तमान विनियमों अनुसार कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।
  - उक्त संशोधन नगर नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में पंजीकृत वास्तुविद की पंजीकरण अवधि पर लागू नहीं होंगे परन्तु नवीनीकरण चाहे जाने पर आदेश के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. विनियम — 19.2 (vii) (viii) एवं (ix) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित (Substitute) किया जाता है:—

(vii) आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तथा वास्तुविद / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।

(viii) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और वास्तुविद / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।

(ix) मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन और वास्तुविद / सिविल अभियंता के अधीन एक वर्ष का अनुभव।

नोट :— ऐसे तकनीकीविद जिन्हे 1—3 वर्ष तक का अनुभव रखते है वे तकनीकीविद लघु एवं मध्यम शहरों में तथा ऐसे तकनीकीविद जिन्हें 3 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, वे तकनीकीविद सभी श्रेणी के शहरों (लघु एवं मध्यम शहरों तथा बड़े शहर जैसा कि भवन विनियमों में वर्णित है,) में कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।

4. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 में अतिरिक्त अनुसूची— (निर्मित भवनों हेतु पूर्णता / अधिवास प्रमाण पत्र) (संलग्नक—1) को सम्मिनिलत किया जाता है।
5. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम 19 एवं 20 के अन्तर्गत वास्तुविदों के पंजीकरण के निर्धारित मानदण्डों में भविष्य में यदि संशोधन आवश्यक होने पर मानदण्डों में संशोधन हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान अधिकृत होंगे।

6. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम 10.10 (ix) में वर्णित एम्पेनल्ड आर्किटेक्ट्स का तात्पर्य उक्त भवन विनियमों के विनियम 19 एवं 20 के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा पंजीकृत आर्किक्ट्स/वास्तुविद से है।

उक्त प्रावधान समस्त प्राधिकरण, न्यास एवं नगरीय निकायों द्वारा सुसंगत विधिक प्रक्रिया अपनाकर संबंधित विनियमों में जोड़े जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम



नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

वेबसाईट: shahar2021.rajasthan.gov.in

ई-मेल: psksabhiyan21@gmail.com

हेल्प डेस्क : 1800 180 6127

Premier # 9783855551